दलित उत्पीड़न और विधिक उपचार

पी.एल.मीमरौठ, एडवोकेट

तृतीय संस्करण

दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान

दलित उत्पीड़न
और
विधिक उपचार

संपादक
पी.एल. मीमरौठ
एडवोकेट

यूरोपियन यूनियन

DMKS
Rajasthan

दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
112, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर–15
टेलिफैक्स–0141–2504837, 2504119
ईमेल–cdrjaipur@gmail.com वेबसाईट–www.dmkscdr.org

दलित उत्पीड़न और विधिक उपचार

दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण– 2002

द्वितीय संस्करण– नवम्बर 2006

तृतीय संस्करण– दिसम्बर 2017

सहयोग : यूरोपियन यूनियन

सहयोग राशि: 50 रूपये मात्र

मुद्रक : कमला आर्ट प्रिन्टर्स, जयपुर

FORWARD

The oppression and humiliation of our Dalit brothers and sisters has been a continuing story of injustice and inhumanity. 'One person One value' which is the basis of true democracy has been outrageously denied to the SC/ST sectors of the Indian people. This disgraceful situation has been sought to be remedied by half-hearted legislation which has proved to be impotent and ineffectual in practice. Parliament in its wisdom thought it necessary to protect the SC & ST category by more effective, more comprehensive and more punitive provisions of law. So two enactments were passed, namely PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT, 1955 and Scheduled Caste /Scheduled Tribe (Protection of Atrocity) Act 1989. However, the ruling class saw to it that, at the functional level, the legislations were paper tigers. Indeed, Rules under the 1989, Act were framed only in 1995, a delay which discloses the purposeful inaction of the Government. Even the Criminal Courts and prosecution process, vis-à-vis these two enactments, left much to be desired. Publicity for these laws was insufficient, even the judicial operation was inconsequential. What was necessary was creation of awareness among the victim communities and considerable publicity given regarding these protective statutes and Rules.

Sh. P.L. Mimroth Advocate, whose burning conviction to see that Dalits enjoy human rights, has now taken upon himself the duty to reach the two statutes to the people in the language of the people. The rules have also been included in this book. Mr. Mimroth has added other useful materials such as relevant case-law. Law is what law does. If the Dalit protective laws are to fulfill their objectives. Mr. Mimroth's book is a necessary tool. I am that Sh. Mimroth, a social justice crusader, has taken up this task and produced a practical "DALIT UTPIDAN AUR VIDHIK UPCHAAR" Book which will arm the SC & ST sector with the necessary knowledge. Knowledge is power and I hope, through this book, my brothers & sisters of the exploited community (ST & ST) will be able to assert their rights, their dignity and their democratic self-respect. The finest hour of SC &ST legislation arises only when the lowliest the last and the least of Indian humanity are able to use the protection of the law, to right wrong & get culprits punished.

Dated:24th March, 2000

JUSTICE V.R KRISHNAIYER

SUPREME COURT JUDGE (RETD)
'SATYSGAMYA' ENAKULAM
COCHIN (KERALA)

संदेश

हिन्दू धर्म की सामाजिक जीवन पद्यति शोषण व अत्याचार पर आधारित है। अन्य किसी भी धर्म में जन्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान को कोई महत्व नही दिया गया है। वर्ण व्यवस्था के कारण हिन्दू समाज का अधिसंख्य वर्ग सम्पत्ति, शिक्षा एवं शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित रहा। उसका कार्य केवल बाकी तीनों वर्णो की सेवा, दासता के रूप में करना मात्र ही रहा। पिछले जन्म के कर्मो के फल के रूप में वर्तमान के अन्याय को सहते रहकर नारकीय जीवन जीना ही शूद्र वर्ग का धर्म माना गया और यही कारण है कि सदियों से इस अन्याय पूर्ण व्यवस्था का विरोध इस वर्ग के लोगों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व संघर्ष के रूप में किया गया। बिना शिक्षा एवं पूंजी के आत्म सम्मान सम्भव नहीं होता है एवं बिना ज्ञान के शस्त्र के प्रतिरोध की कल्पना भी सम्भव नहीं है। पुराणों में बाल्मिकी एवं शंभूक ऋषि का वध एवं एकलव्य का गुरु दक्षिणा के रूप में धनुर्विद्या की दक्षता के प्रतीक अंगूठे का विच्छेद इस बात को इंगित करता है कि शूद्र वर्ग नैसर्गिक योग्यता का फल भोगने का भी पात्र नहीं माना गया।

मुगल एवं ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विदेशी संस्कृतियों के पदार्पण ने स्वतंत्र चिन्तन का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया, लेकिन मुस्लिम एवं ब्रिटिश शासकों ने अपने–अपने धर्म एवं समाज व्यवस्था की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए वहीं तक हिन्दू धर्म की समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जहाँ तक उनके शासन को स्थायित्व व स्थिरता प्राप्त हो। भक्ति काल में कबीर, गुरू नानक, महात्मा फूले, संत ज्ञानेश्वर व बाबा रामदेव के उपदेश अवश्य हिन्दू धर्म की धार्मिक व सामाजिक जकड़न को कम करने में महत्वपूर्ण रहे, लेकिन कारगर प्रहार केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय संविधान के जाति विहीन शोषण मुक्त व्यवस्था की गारन्टी के कारण ही हो पाए। देश में छुआछूत के अस्तित्व व प्रचलन और पिछले कई दशकों के इसके उन्मूलन के प्रयास सर्व विदित हैं। संविधान निर्माताओं की नजर में यह भारतीय समाज के लिए बदनुमा धब्बा था। उन्होंने इससे निपटने के लिए दो तरीके अपनाए। उन्होंने भारतीय संविधान में छुआ–छूत को अपराध की संज्ञा देकर अनुच्छेद 17 के जरिए इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव को अपराध मानकर दण्ड की व्यवस्था की, साथ ही इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव को कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया।

भारतीय संविधान में अवसर की समानता के मौलिक सिद्धान्त, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के माध्यम से सभी को भेदभाव रहित फलने–फूलने की गारंटी दी गई है। संविधान के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों के समावेश ने भविष्य की शासन व्यवस्था को लोक कल्याणकारी बनाये रखने का भी प्रयास किया है।

श्री पी.एल.मीमरौठ ने अपनी इस पुस्तक में शोषित एवं पीडित वर्ग को पीड़ा से राहत प्रदान करने हेतु बनाये गये विधिक उपबन्धों एवं न्यायिक निर्णयों का सरल एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर वंचित वर्ग को शोषण व अत्याचार के विरूद्ध जूझने के लिए महत्वपूर्ण विधिक सामग्री प्रस्तुत की है। आशा है यह पुस्तक सामाजिक न्याय की प्राप्ति में कारगर हथियार के रूप में उभरेगी । मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ ।

आर. के.आंकोदिया

(सेवा निवृत्त) आर.एच.जे.एस.

पूर्व सदस्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग,

जयपुर

दो शब्द

स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को देश पर लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 17 में सामाजिक विषमता एवं छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है। संविधान के इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से हमारे देश की संसद ने सन् 1955 ई0 में छुआछूत उन्मूलन कानून पास किया जो अप्रभावी सिद्ध हुआ । तत्पश्चात सन् 1976 ई0 में इसमें संशोधन कर अनेक प्रभावकारी प्रावधान जोड़े गये और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 (पी.सी. आर. एक्ट) कर दिया। इस कानून के प्रावधानों के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दलित पर अत्याचार रोकने में असफल रहा तो संसद ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बनाया जिसमें किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के घर के पास अखाद्य, अपेय वस्तुयें, कूडा या मलिन सामग्री डालना, जमीन पर कब्जा करना, वोट देने से रोकना, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, महिलाओं के साथ अभ्रद व्यवहार व बलात्कार आदि उच्चवर्गीय व्यक्ति स्वयं करता है, दलित/आदिवासी महिला को निवस्त्र करता है, उन्हें बेगार के लिए बाध्य करता है जमीन पर कब्जा करता है, हाथ से मैला सफाई करवाता है, नग्न घुमाता है, महापुरूषों की मूर्ति खण्डित करता है, मतदान में विघ्न डालता है, आर्थिक बहिष्कार या आर्थिक हानि पहुँचाता है, डायन का आरोप लगाता है, दलित/आदिवासी के विरूद्ध मिथ्या या द्वेषपूर्ण आपराधिक कार्यवाही करता है, अपमान करता है, शत्रुता या वैमस्यता फैलाता है, महिला का अपमान व लैंगिक हिंसा, जल स्रोत को दूषित, गांव से बलपूर्वक पलायन करवाना, व्यापार से रोकना, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारना आदि तो ऐसा करने वाले को 5 वर्ष तक का कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित करने के प्रावधान है। अपराधी को अग्रिम जमानत देना वर्जित है। इस कानून के तहत गैर अनुसूचित जाति/जनजाति पुलिस अधिकारी जांच में गडबडी करता है तो उसे भी दंडित करने का प्रावधान है। सामान्य कानूनों के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष को सबूत जुटाने पडते है, परन्तु इस कानून में अभियुक्त के आरोप को मिथ्या साबित करने के लिए स्वयं सबूत जुटाने पडते हैं।

इस कानून के अन्तर्गत केन्द्र सरकार पर यह दायित्व है कि वह प्रतिवर्ष संसद में रिर्पोट पेश करे और बताये कि इस कानून के अन्तर्गत देश भर में कितने अभियोग दर्ज किये गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई? इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में अपराधों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन और अलग से पीड़ित द्वारा भी इच्छानुसार लोक अभियोजक नियुक्त करने के प्रावधान है।

इस कानून के तहत नियमों में पीडित व्यक्तियों को तुरन्त राहत पहुँचाने और उनके सम्पूर्ण पुनर्वास का प्रावधान है। नियमों के तहत उत्पीडितों को क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता तथा कोर्ट में मुकदमें की सुनवाई के दौरन उत्पीडित व्यक्ति मजदूरी की राशि उत्पीड़ित व्यक्ति और गवाहों को यात्रा व्यय और मजदूरी की राशि सरकार द्वारा भुगतान करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर, मेडिकल परीक्षा, चार्ज शीट प्रस्तुत होने पर एवं दोषसिद्धि के स्तर पर देना है तथा हत्या, मृत्यु सामूहिक हत्या, बलात्संग, स्थायी अक्षमता, सामूहिक बलात्संग और डकैती

के प्रकरणों में अतिरिक्त सहायता के रूप में मृतक के आश्रितों को सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त सभी कानून दलित, आदिवासियों को सामंती अत्याचारों से छुटकारा दिलाने और उन्हें समाज में मान–सम्मान से जीने में सहायता करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं क्योंकि अधिकतर दलित, आदिवासियों को उन कानूनों की जानकारी न होने के कारण वे सामन्ती अत्याचारों के शिकार होते रहते हैं तथा अत्याचारियों के विरूद्ध इन कानूनों का उपयोग कर उन्हें दंड दिलवाने में असमर्थ रहते हैं। अतः उनपर अत्याचार करने वालों का हौंसला बढता रहता है। फलतः दलित आदिवासी उत्पीड़न और अत्याचारों में वृद्धि होती रहती है। इन कानूनों के प्रावधानों को लेकर, विशेषकर अग्रिम जमानत के मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मुकदमों के सार भी इस पुस्तिका में दिये गए हैं।

इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के लिए श्री भोजराज वर्मा, एडवोकेट श्री अशोक वर्मा, एडवोकेट श्री हरीशंकर गोयल, एडवोकेट श्री हजारी लाल मीरवाल अलवर, श्री चेतन प्रकाश बैरवा अधिवक्ता जयपुर हाईकोर्ट, श्री थानसिहं पूर्व सांसद जयपुर व श्री हेमन्त सिहं अजमेर ने जो मुझे तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई, उसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। मैं श्री होरी लाल अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट को हृदय से आभार अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रथम संस्करण को तैयार कराने और प्रकाशन कराने में सहयोग दिया। श्री होरीलाल एडवोकेट के सक्रिय सहयोग व मार्गदर्शन से प्रथम संस्करण का प्रकाशन संभव हो पाया।

इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण व तृतीय संस्करण के लिए दलित अधिकार केन्द्र की टीम को धन्यवाद देना चाहुंगा जिन्होने दिन–रात मेहनत कर इसे तैयार करवाया। इस पुस्तक के तृतीय संस्करण के लिए मैं दानदाता संस्था यूरोपियन यूनियन का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सहयोग से मुद्रण संभव हुआ तथा तृतीय संस्करण के लिए मैं श्री सतीश कुमार जिनकें मार्गदर्शन में सुश्री ग्रिजेश दिनकर, श्री चन्दा लाल बैरवा, सुश्री पूजा, श्री मुकेश मेहरा, श्री भगवान सहाय, श्री मीठा लाल ने कार्य कर इस संस्करण को मूर्तरूप दिया उनको भी धन्यवाद देना चाहुंगा।

मैं न्यायमूर्ति श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर, उच्चतम न्यायालय के भू.पू.न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. के रामास्वामी व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय श्री आर.के.आंकोदिया का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं महानुभावों की प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है।

अन्त में मैं अपनी धर्मपत्नि व अन्य परिवारजनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के सम्पादन में भरपूर समय और सहयोग दिया।

आशा है कि समाज के दबे कुचले तबके व सामाजिक न्याय के पक्षधरों तथा मानवाधिकारो के लिए संघर्षरत सहपथिक इस पुस्तक में दिये गये कानूनों की जानकारी कर समाज के दलित शोषित वर्गो का पथ प्रदर्शन कर के शोषण व अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में समर्थ होंगे ताकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर मान–सम्मान का जीवन जी सकें।

पी.एल.मीमरौठ
एडवोकेट

लेखक का परिचय

श्री पी.एल.मीमरौठ मूलतः राजस्थान के हैं तथा वर्तमान में दलित अधिकार केन्द्र के संरक्षक के रूप में कार्यरत है। श्री पी.एल.मीमरौठ दलित होने के कारण बाल्यकाल से ही उत्पीडन के शिकार रहे हैं। इसी कारण से वे गत चालीस वर्षो से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निरन्तर क्रियाशील हैं।

श्री पी.एल.मीमरौठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की तथा सन् 1982 ई0 तक रेल्वे विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर रहे। न्यायमूर्ति श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर की प्रेरणा से नौकरी से त्यागपत्र देकर वकालत शुरू की। श्री पी.एल.मीमरौठ पिछले दो दशकों से उत्तर भारत के हिन्दी भाषी प्रदेशों में, विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण आंचलों में दलित समाज पर कानूनी जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम चला रहे हैं। आप दलित शोषित समाज पर होने वाले क्रूर अत्याचारों के मामलों को सरकार व मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष प्रभावकारी ढंग से उठाते रहते हैं। उन्होंने जनहित के मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालयों में अनेक जनहित याचिकायें दायर की हैं। नाथद्वारा मंदिर प्रवेश के मामले में श्री मीमरौठ व श्री सूर्यनारायण चौधरी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति जे.एस.वर्मा ने महत्वपूर्ण फैंसला दिया था। श्री मीमरौठ ने दलित समस्याओं, सामाजिक न्याय व मानवाधिकार के मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखें हैं और सेमीनार, कार्यशालायें आदि आयोजित की हैं।

आपने पूरे देश के विभिन्न भागों में जाकर दलितों की समस्याओं का गहन रूप से अध्ययन किया है। दलित समस्याओं पर नेपाल में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया, अप्रैल सन् 2000 में दलित उत्पीडन के मामलों पर चैन्नई में आयोजित राष्ट्रीय जन सुनवाई के संयोजक थे और मई सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन के लिए गठित समिति के सदस्य के रूप में जिनेवा गये, वहाँ भी आपने जातिय मुद्दों को उठाया।

वर्तमान में श्री मीमरौठ दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति के मुख्य कार्यकारी हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए गठित राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आन्दोलन के सह–संयोजक हैं। दलित अधिकार केन्द्र के अध्यक्ष के रूप कार्यरत हैं तथा सम्पूर्ण टीम के साथ दलित, आदिवासी, बच्चों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की निगरानी व पैरवी कर रहे हैं।

विषय सूची

क्रस.	विषय	पृष्ठ सं.
1	अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) संशोधित अधिनियम 2015 में नये व मुख्य मुख्य प्रावधान व बदलाव	1
2	संशोधित कानून में पीड़ित को सहयोग करनें में दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता की भूमिका	4
3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	9
4	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016	23
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व संशोधन अधिनियम 2015 के (नियम 12(4) के तहत दलित पीडितों को मिलने वाली राहत राशि के लिए मापदंड	31
6	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में	39
7	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955	41
8	पुलिस जवाबदेही कमेटी	47
9	राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मानव अधिकार संस्थानों की सूची	59
10.	अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियमों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए सहायक दिशानिर्देश	
	1) सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग द्वारा जारी	60
	2) पुलिस विभाग द्वारा जारी सहायक दिशानिर्देश	79

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) संशोधित अधिनियम 2015 में नये व मुख्य मुख्य प्रावधान व बदलाव

अनुसूचित जाति / जनजाति कानून में 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है जिसके माध्यम से सरकार ने यह मंशा जताई है कि दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए और अधिक कठोर प्रावधानों का समावेश किया जावे। संशोधित कानून में जो महत्वूपर्ण बदलाव किये गये है उनके बारे में सक्षिप्त में निम्नलिखित वर्णन किया जा रहा है।

नये संशोधित कानून में 15 अपराध और बढाये गये हैं पहले इस कानून में 22 अपराध शामिल थे। धारा 3(1) के अन्तर्गत 15 अपराध व धारा 3(2) के अन्तर्गत 7 अपराध थे। परन्तु अब संशोधित कानून में 37 अपराध है। अब धारा 3(1) के अन्तर्गत 29 अपराध है जब कि धारा 3(2) के अन्तर्गत 8 अपराध रखे गये है।

1 नये अपराधों में सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार को जोड़ा गया हैं

2 महिलाओं से सम्बधित अपराधों को ओर अधिक बढाकर उनकी सुरक्षात्मक प्रावधानों को कड़ा बनाया गया हैं। डायन प्रथा, देवदासी प्रथा को विशेष रूप से जोड़ा गया है।

3 चुनाव संम्बन्धी उत्पीड़न व अपराधों को और अधिक परिभाषित कर व्यापक व विस्तृत बनाया गया है जैसे:–

   1. नामांकन भरने से रोकने, मतदान देने से रोकने के बारे में,
   2. निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को अपने दायित्वो को न निभाने देना, उसे कुर्सी आदि पर न बैठने देना व अनादर व भेदभाव करने पर,
   3. चुनाव के बाद अनुसूचित जाति / जनजाति वे लोगों पर हमला करना व उनका आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार करना

4. अनुसूचित जाति व जन जातियों के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने के लिए तथा इस काम के मजदूरी पर रखना भी अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है।

5. मृतक पशुओं को या उनके कंकाल को उठाने के लिए बाध्य करना या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना भी अब अपराध होगा।

6. दलितों के महापुरूषों की मूर्तियों चित्रों आदि को तोड़ने व अनादर करने की घटनाऐं जैसे कि वर्तमान में डॉ. अम्बेडकर मूर्तियों को तोड़ने व अनादर करने की घटनाएं बढ रही है।

7. दलितों के शवों को दफनाने या जलाने से रोकना, पानी के स्रोतों से दलितों को पानी लेने में रूकावट डालना, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग न करने देना, सार्वजनिक रोड़ या रास्ते में दलितों को आने जाने से रोकना साईकिल या मोटर साईकिल पर दलित के सवार होने पर उसे रोकना व अपमानित करना, शादी व बिन्दोरी पर दुल्हे दुल्हन को घोड़ी पर बैठने और ग्राम के सार्वजनिक रोड़ रास्ते में अवरोध पैदा कर मारपीट करना, जूते पहनने, नये कपड़े पहनने पर दलितों पर द्वेष भावना से उत्पीड़न करना, सार्वजनिक स्थल व मन्दिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक लगाना, दलितों को शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी) दुकान आदि पर प्रवेश से रोकना, तथा दलितों को सम्मानपूर्वक व्यवसाय करने, व्यापार करने व नौकरी करने में व्यवधान डालना गम्भीर अपराध माना गया है।

8. संशोधित कानून में अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) को और अधिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा उनको जंगल के अधिकार (Forest Right) से वंचित करना व उनकी फसलों को नष्ट करना गंभीर अपराध माना गया है।

9. नये कानून में स्पेशल कोर्ट के बारे में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गये है:–

1. कानून में पहले ये प्रावधान था कि स्पेशल कोर्ट में मामला सीधा नहीं जाता था यानि कमिटल प्रोसीडिंग के बाद ही एससी/एसटी कोर्ट में मामल चलता था। परन्तु अब कमिटल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और सीधे ही स्पेशल कोर्ट में मामला ट्रायल के लिए जायेगा। पीड़ित भी अब सीधे ही स्पेशल कोर्ट में अपनी याचिका पेश कर सकता है। इस से जो देरी होती थी वह अब नही होगी। उक्त न्यायालय को अब सीधे प्रंज्ञान लेने की अधिकारिता है।

2. राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामले को सुलझाने के लिए अब प्रत्येक जिले में विशिष्ट न्यायालय (Special court) तथा (Exclisive Special Court) स्थापित करेगी।

3. ये न्यायालय उत्पीड़न और अत्याचार के मामले को 2 महीने के अन्दर विचारण कर निस्तारण करेगे।

4. संशोधित कानून में यह भी निर्देशित किया गया है कि इन मामलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन (Day to day) होगी और प्रकरण का निस्तारण दो माह के अन्दर अन्दर किया जायेगा तथा मामले की उच्च न्यायालय (High court) में अपील की गई तो उसका निस्तारण भी तीन माह के अन्दर अन्दर किया जायेगा।

10. संशोधित कानून मे एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है जिसमें धारा 15–ए में विशेष रूप से पीड़ितों व गवाहों के अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार है :–

1. सरकार का पूरा दायित्व व कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ितों के विरूद्ध उत्पीड़न के प्रकरण में उनके गवाहों उनके आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान करें तथा उन पर होने वाले उत्पीड़न, धमकियों दबाव देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे।।

2. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (APP) का दायित्व है कि वे प्रकरण से सम्बन्धित सभी जानकारी समय पर पीड़ितों व गवाहों को उपलब्ध करवाये।

3. पीड़ितों की ओर से प्रकरण की सभी कार्यवाहियों के बारे में सुनने का अधिकार है। जमानत देते समय भी पीड़ित को सुना जायें

4. इस कानून के अन्तर्गत पीड़ित/पीड़ितों के साथ पुलिस प्रशासन निष्पक्षता, सम्मान व गरिमा के साथ व्यवहार करेगा तथा उसे उसकी आयु, लिंग गरीबी व अशिक्षित होने के कारण हेय दृष्टि से नही देखेगा।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति कानून के अन्तर्गत की जाने वाली सभी कार्यवाहियों की वीड़ियों रिकार्डिंग की जायेगी।

6. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित उसके आश्रितों, साक्षियों व सूचनाकर्ता को निम्नलिखित राहत प्रदान करेगा :–

क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण

ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय और अन्वेषण जांच ओर विचारण के दौरान सामाजिक व आर्थिक पुर्नवास और

ग) पुर्नः अवस्थान

घ) संशोधित कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आरोपी को पीड़ित परिवार के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी है तो यह माना जायेगा कि आरोपी को उसकी जाति के बारें में जानकारी है।

इस संशोधित कानून में स्वयंसेवी संगठनों, दलित व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा एडवोकेटस को विशेष अधिकार दिये गये है ताकि वे इस कानून के अन्तर्गत पीड़ितों गवाहों व आश्रितों की मदद् कर सकें। संशोधन से पहले यदि कोई प्रतिष्ठित और सभ्रान्त कार्यकर्ता पीड़ित या पीड़िता के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने या अन्य किसी

अधिकारी के पास पीड़ित/पीड़िता की पैरवी के लिए जाता था तो पुलिस उसका तिरस्कार करके बाहर निकाल देती थी और कहती थी कि "तुम इसके साथ क्यों आये हो क्या तू इसका वकील है या दलाल है।" पुलिस या अधिकारी कहते थे कि "आप बाहर निकल जाओं और पीड़ित को ही अपनी बात कहने दो" पीड़ित/पीड़िता अपनी पूरी बात कह नहीं पाते क्योंकि वे तो पहले ही अत्याचार की घटना से टूट चुके होते हैं तथा अवसाद में होते है इसलिए वह अपनी पूरी और सही घटना नहीं बता पाते हैं।

इस दृष्टि से कार्य कर्ताओं व स्वयं सेवी संगठनों को जो यह अधिकार दिया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होगा। इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्य कर्ताओं का मनोबल बढेगा तथ उन्हे एडवोकेसी करने को भी मिलेगा।

1. मौका जांच व आरोप-पत्र (चार्ज-सीट) के बारे में जानकारी अत्याचार-पीड़ित, उनके आश्रितों के साथ उनके ही कार्य-कर्ताओं को भी जानकारी दी जायेगी तथा आरोप-पत्र (चार्ज-सीट) की कापी निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
2. राहत राशि (मुआवजा राशि) के बारे में अत्याचार से पीड़ितों, उनके आश्रितों तथा स्वैच्छिक संगठनों और कार्य-कर्ताओं को भी जानकारी प्रदान की जायेगी।
3. अन्वेषण (जाँच) व विचारण (कोर्ट) की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या उनसे जुडे हुए कार्य-कर्त्ताओं तथा संगठनों को जानकारी दी जायेगी।
4. पीड़ितों को विधिक सहायता भी प्रदान की जायेगी।
5. इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों, उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के अधिकारों के निष्पादन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी।

इस कानून के अन्तर्गत बनाये गये नियम 17ए के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान राज्य सकरार के आदेश संख्या 725(E) ता. 8.11.2013 से जोड़ा गया है।

इस उपखण्ड स्तर की सतर्कता और मौनिटरिंग समिति में उपखण्ड विधायक, अनुसूचित जातियों जन जातियों से सम्बन्धित पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप-अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति व ज़नजाति से सम्बन्धित 2 प्रशासनिक अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गो से 2-2 प्रतिनिधि होगें।

इस समिति के अध्यक्ष एस.डी.एम. (उपखण्ड अधिकारी) एवं सदस्य सचिव बी.डी.ओ. होगें। इस समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

संशोधित कानून में पीड़ित को सहयोग करनें में दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता की भूमिका

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर होने वाले उत्पीडन की रोकथाम और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी पैरवी के दौरान मुख्यत कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता (डी.एच.आर.डी.) को इस दिशा में कठिनाईयों के साथ–साथ सबल वर्ग और अत्याचारियों की ओर से प्रताडना का भी शिकार होना पडता है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 व नियम 2016 में संशोधन होने के बाद अब हमारे दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (डी.एच.आर.डी.) को उक्त संशोधित अधिनियम के 15 (क) (12) में अत्याचार पीडितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं द्वारा सहायता देने का प्रावधान किया गया है, अब पीडितों की ज्यादा मदद कर सकते है। दलित उत्पीडन के मामलों में देखने में आया है कि उत्पीडन व अत्याचार की घटनाओं के बाद अधिकतर लोग पीडितों के समर्थन में और सहयोग करने में आनाकानी करते है कोई उनकी मदद् करना तो दूर मोरल सपोर्ट (नैतिक सहयोग) करना भी उचित नहीं समझते जिसके कारण से दलित पीडित का आत्मविश्वास टूट जाता है ऐसी परिस्थितियों में दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता (डी.एच.आर.डी.) की दलित पीडितों के प्रकरणों में सहयोग करने की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ।

आज भी ग्रामीण क्षेत्र में दलित कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधियों में यह भ्रम फैला हुआ है कि दलित अत्याचार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए दो सामान्य वर्ग (जनरल कास्ट) के दो लोगों के द्वारा गवाही देने पर ही मुकदमा दर्ज होता है, अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति दलित के पक्ष में बयान नहीं देगे तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह समाज में इस कानून को निष्क्रिय व असफल करने के लिए दलित विरोधी मानसिकता के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व ऊंची राजनैतिक पहूंच वाले लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया है, यह भ्रम इतना मजबूत हो गया है कि दलित अत्याचार होने पर इसलिए थाने में नहीं जाते है कि उनके पास जनरल कास्ट के गवाह नहीं है, जब कि दलित व्यक्ति पर गैर दलित व्यक्ति द्वारा अत्याचार करने के प्रकरण में सामान्य वर्ग के व्यक्ति के गवाह की कोई आवश्यकता नही है यह गैर कानूनी है। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नही है, इस भ्रम को भी तोडने की आवश्यकता है। हाल ही में धारा 8(ग) जोड़ी गई है जिसमें अभियुक्त से पीड़ित या उसके परिवार को व्यक्तिगत ज्ञान है तो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अपराध अनुजाति/जनजाति का सदस्य होने के नाते किया गया है।

अतः दलित अत्याचार के प्रकरणों में पीडितों को न्याय, राहत व सुरक्षा दिलाने की दिशा में डी.एच.आर.डी. पुलिस प्रशासन से निम्न मांग कर पीडितों को न्याय दिलाने में मददगार साबित हो सकते है:–

1. **पीडितों को मोरल सपोर्ट (नैतिक सहयोग) प्रदान करना :–** प्रायः यह देखा गया है कि हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, आगजनी, गम्भीर मारपीट, दलित दूल्हे को घोडी से उतारने का प्रकरण इस प्रकार के गम्भीर अत्याचार के प्रकृति के प्रकरणों में दलित समुदाय, नागर समुदाय, दलित जनप्रतिनिधि, अन्य मिलने वाले लोग भी पीडित से दूरी बनाना शुरू कर देते है जिसके कारण से पीडित मजबूर व हताश होकर राजीनामा करने को मजबूर होता है ऐसी परिस्थितियों में डी.एच.आर.डी. का कर्त्तव्य है कि वह पीडित समुदाय/परिवार/व्यक्ति को मोरल सपोर्ट प्रदान करे, सहयोग का आश्वासन, पीडित के आस–पड़ोस, दलित समुदाय, मौहल्ले में समान विचारधारा वाले लोगों को एक जुट कर पीडित का सहयोग प्रदान करने के लिए वातावरण तैयार करे ताकि पीडित अन्तिम निर्णय तक कानूनी लडाई को जारी रख सके। अनुभव यह बताता है कि कई गम्भीर प्रकरणों में कार्यकर्ताओं का समय पर सहयोग या सम्पर्क नहीं होने पर पीड़ित हताश होकर या दबाव में आकर राजीनामा कर लेता है या मन मसोस कर बैठ जाता है इसलिए डी.एच.आर.डी. की जिम्मेदारी है कि वह पीडित के पक्ष में खड़ा होकर न्याय दिलाने की दिशा में सहयोग प्रदान करे।

2. **प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना :–** जैसे ही घटना के बारे मे डी.एच.आर.डी. को पता चलता है वह व्यक्तिगत रूप से जाकर पीडित से मिले घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए पीडित को विश्वास में ले। अगर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो अपराध की गम्भीरता के आधार पर रिपोर्ट में एस.सी./एस.टी.एक्ट, पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय एक्ट, व अन्य आवश्यक कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है या नही इसकी पुष्टि करे अगर नही किया गया है तो उक्त धाराओं को डी.एच.आर.डी. जांच अधिकारी से मिल कर सम्बन्धित धाराओं को जुडवाने का प्रयास करे। अगर पीडित से सम्पर्क करने तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ही नही किया गया है तो मुकदमा दर्ज करवाते समय इस बात का आवश्यक ध्यान रखे कि अपराध के समय घटना को अंजाम देने वाले लोगों का ही नाम लिखवाये, कई बार बेगुनाहों के नाम लिखवाने पर मुख्य आरोपी भी बच जाते है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। डी.एच.आर.डी. को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर मारपीट, बलात्कार की घटना है तो अविलम्ब उसकी मेडिकल जांच, करवाना आवश्यक है, बलात्कार के प्रकरण में मेडिकल व अन्तर्गत धारा 164 सी.आर.पी.सी के बयान न्यायालय में करवाना सुनिश्चित करें।

3. **जांच निष्पक्ष व निर्धारित समय में पूरी हो इसके लिए प्रयास करना :–** अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 में दलित पर गैर दलित द्वारा अत्याचार करने पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर या इससे उच्च स्तर का अधिकारी जाँच करता है लेकिन कई बार पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र में सब–इस्पेक्टर, थानाधिकारी से जांच करवा कर रिपोर्ट अपने पास मंगवा लेता है तथा जाँच रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर कर देता है जिससे पद के अनुभव के अनुसार पूरे तथ्यों की सूक्ष्मता एवं गहनता से जाँच नहीं कर पाते और तथ्यों के अभाव से आरोपी बच जाता है। इसलिए डी.एच.आर.डी. यह सुनिश्चित करे कि जांच सही हो, जांच के समय विडियोग्राफी हो, तथ्य व सबूतों को एकत्रित करने में मदद करे, वैज्ञानिक तकनीकियों के इस्तेमाल, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार करने में मदद करे। जांच अधिकारी पीडित, गवाहों से खाली कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करवाये, नियम 7 में प्रावधान है कि 60 दिन में जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया जावे, डी.एच.आर.डी. को निर्धारित समय पर जांच पूरी करवा कर सही उप–धाराओं में जांच अधिकारी न्यायालय में समय पर चालान पेश कर रहा है या नहीं इस बात का भी पता करे। अगर आरोपी, पीडित को धमकियां दे रहे है तो उच्च अधिकारियों को सुरक्षा के बारे में अवगत करवाना भी डी.एच.आर.डी. की जिम्मेदारी है ताकि पीडितों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे।

4. **पुनर्वास व सुरक्षा :–** दलितों के साथ गम्भीर घटना जैसे आगजनी, सामूहिक हमला, सामाजिक बहिष्कार, हत्या, बलात्कार जैसे प्रकरणों में दलित गांव से पलायन कर चले जाते है जिसकी वजह से उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, रोजगार, सुरक्षा आदि की परेशानी होती है। इसलिए डी.ए.आर.डी जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पीडितों का गांव में पुर्नवास करवाने व आवश्यक सामग्री जैसे बिस्तर, बर्तन, कपडे, पानी, चिकित्सा सुविधा, खाद्य सामग्री, में आटा, चाय, चीनी, नमक मसाला, दाल, चावल, गेहूं आदि उपलब्ध करवाने के लिए पैरवी कर सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। पीडितों को मिलने वाली धमकियों व घटना की गम्भीरता के आधार पर पीडितों की सुरक्षा के लिए स्थाई/अस्थाई पुलिस चौकी, रात्रि गश्त, पीडितों को हथियार के लिए अनुज्ञापत्र जारी करवाने आदि के प्रावधान का उपयोग कर दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। पीड़ितों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने हेतु प्रशासन व प्रशासन से पैरवी करना।

5. **नियम 11 के तहत पीडितों व उसके गवाहों, आश्रितों, को मिलने वाला यात्रा–भत्ता, दैनिक भत्ता, पोषण भत्ता आदि :–** उक्त नियम के तहत दलित पीडितों, गवाहों को प्रकरण के सम्बन्ध में अपने आवास से अन्वेषण या सुनवाई के लिए पहुंचने के लिए आने–जाने का रेल/बस का किराया, भोजन, अगर कोई साठ वर्ष की आयु से ज्यादा का व्यक्ति है तो उसको एक परिचर का किराया व भोजन, दैनिक भत्ता आदि खर्च देने का प्रावधान है लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण से पीडित इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते है इसलिए डी.एच.आर.डी.पीडितों को

यात्रा भत्ता दिलाने के लिए जिला कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर तीन दिन में भुगतान करने का आज्ञायक प्रावधान है।

6. **नियम 12 (4) के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि :–** डी.एच.आर.डी. की यह भी जिम्मेदारी है कि दलित पीडितों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर अन्तिम निर्णय तक अलग–अलग अपराध में अलग–अलग स्टेज पर मुआवजा राशि मिलने का प्रावधान है वह उसे मिला अथवा नहीं। लेकिन मुआवजा राशि देने में काफी देर कर देते है जिसकी वजह से पीडित को मुआवजा राशि समय पर नही मिलती। थानाधिकारी से संवाद करे कि वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर आर्थिक मुआवजा हेतु पीड़ित परिवाद के बैंक एकाउन्ट एवं अत्याचार निवारण अधिनियम की सही उपधाराऐं एफ.आई.आर. में अंकित करें वेब पोर्टल पर अपलोड करें। यह भी ध्यान देने की बात है कि राजस्थान में अगर कोई पीडित नाबालिग है व दलित / आदिवासी है और उसके साथ लैगिंक हिंसा कारित होती है और मामला पोस्को अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है तो उसको एस.सी. / एस.टी.एक्ट एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2011 दोनो के तहत मुआवजा राशि मिलने का प्रावधान है।

7. **अम्बेडकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा दलित पीडितों को अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहयोग देने का प्रावधानः–** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अम्बेडकर फाउण्डेशन, के द्वारा भी दलित पीडितों को हत्या, बलात्कार, आगजनी, सामाजिक बहिष्कार आदि अपराधों पर मुआवजा राशि दी जाती है। इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अगर हत्या का प्रकरण है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मार्डम रिपोर्ट व चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि व बलात्कार के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, 164 सी. आर.पी.सी. के बयान, व चालान की एक प्रतिलिपि सहित जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना पडता है, जिला कलेक्टर उक्त घटना के बारे में स्थानीय स्तर पर जांच करवा कर उक्त आवेदन को अम्बेडकर फाउण्डेशन में घटना की गम्भीरता के आधार पर मुआवजा राशि की सिफारिश भेजेगा ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त राशि एस.सी. / एस.टी. एक्ट के निमय 12 (4) के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि से अलग है। डी.एच.आर.डी. इसकी जानकारी पीड़ित को दे तथा इसे प्राप्त करने में मद्द करे।

8. **पीडित प्रतिकार स्कीम–2011 के तहत देय मुआवजा राशिः–** पीडित प्रतिकार स्कीम के तहत सभी को मुआवजा देने का प्रावधान है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना पडता है या थानाधिकारी निर्धारित प्रपत्र भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करता है। हत्या, बलात्कार, मारपीट, आदि घटनाओं पर यह राशि दी जाती है इस योजना के तहत भी डी.एच.आर.डी. पीडितों को मुआवजा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

9. **पीडितों की पैरवी करने के लिए स्पेशल पी.पी. की नियुक्ति करवानाः–** एस.सी. / एस.टी. एक्ट के नियम 4(5) के अन्तर्गत पीड़ित की इच्छानुसार उसके प्रकरण में एस.पी.पी. नियुक्त करने का प्रावधान है। यदि कोई विशेष लोक अभियोजक पीडित के पक्ष में सही व प्रभावी पैरवी नही कर रहा है तो डी.एच.आर.डी. पीडित से जानकारी लेकर पीडित के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पंसद के अधिवक्ता को पीड़ित की पैरवी करने के लिए आवेदन करवा सकता है , इसमें डी.एच.आर.डी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

10. **अत्याचार परक क्षेत्र घोषित करवानाः–** जिस क्षेत्र में दलितों पर लगातार जातिगत हिंसा व उत्पीडन की घटनाऐं होती है तो डी.एच.आर.डी. जिला स्तरीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क कर उस क्षेत्र जिला / ब्लॉक / ग्राम पंचायत / गांव को दलित अत्याचार परक क्षेत्र घोषित करवा सकता है, ऐसा करने से दलित अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस प्रशासन व सरकार का विशेष ध्यान रह सके।

11. **क्षेत्र में सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास करना :–** दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता (डी.एच.आर.डी.) होने के नाते यह भी जिम्मेदारी है कि वह जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर क्षेत्र में सामाजिक समरसता स्थापित

करने के लिए सामाजिक न्याय व सुरक्षा समितियों का गठन करे, सम्मान पूर्वक सामाजिक समरसता बैठकों का आयोजन करे जिसमें सभी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म के लोग हो साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि भी भाग ले इसके लिए प्रयास करे।

12. **निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने का प्रयास करनाः–** गरीबों व अनुसूचित जाति/जनजाति के पीडितों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके लिए सरकार की ओर से हर वर्ष पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध करवाया जाता है परन्तु प्रचार–प्रसार व जानकारी के अभाव एवं प्राधिकरण व सरकार की उदासीनता के कारण यह व्यवस्था असफल हो गई है। गरीबों को कानूनी सहायता पाना बडा मुश्किल हो गया है । लेकिन उक्त निःशुल्क कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबों के मुकदमों की पैरवी के लिए जो वकील उपलब्ध करवाये जाते है वह पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व को नही निभा पा रहे है गरीब पीडितों को कोर्ट में उनसे कोई फायदा नहीं पहुंचता है इसलिए डी.एच. आर.डी कार्यकर्ता विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने स्तर पर सम्पर्क व तालमेल पैदा करके गरीबो के मामले में सक्षम और संवेदनशील वकीलों की नियुक्ति करवाने में मदद कर सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली में पैरालीगल वालेन्टियर्स को विशेष स्थान दिया गया है जो कि अपने स्थानीय क्षेत्र में सभी समुदाय विशेषकर कमजोर वर्ग के परिवारों के साथ संवेदनशील होकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करे तथा न्यायिक क्षेत्र में पीडित पक्ष को मदद करे परन्तु पैरालीगल वालेन्टियर्स कम ही दिखाई देते हैं इनकी सूची जिला स्तर पर कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

13. **समाज में जागरूकता लाने व अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार करनाः–** दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की यह भी बहुत बडी जिम्मेदारी है कि वह एस.सी./एस.टी. संशोधित अधिनियम एवं नियमों में प्रावधानों के बारे में समाज में गोष्ठियाँ आयोजित कर प्रचार–प्रसार करे उभरती युवा पीढी संशोधित अधिनियम के बारे में अवगत करवाये। डी.एच.आर.डी.अपने समान विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं से समन्वय व तालमेल रख कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कानून के बारे में एक मिशन के तौर पर प्रचार प्रसार करे, इस कानून के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने व सहयोग लेने के लिए दलित अधिकार केन्द्र जयपुर द्वारा संचालित लीगल रिसोर्स सेंटर में आकर अनुभवी अधिवक्ताओं/कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर सकते है।

14. **जिला स्तरीय व मॉनिटरिंग और विजिलेंस कमेटियों की निगरानी रखना :–** अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम की पालना, क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर डी.वी.एम.सी. का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर वर्ष में चार अथवा तीन माह में एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्ट्रर ज्यादा भी बैठकें आयोजित कर सकता है। लेकिन देखने में यह आया है कि डी.वी.एम.सी. की नियमित बैठकें नहीं होती। अगर खाना पूर्ति के लिए बैठक आयोजित होती भी है तो अत्याचार के प्रकरणों में मुआवजा राशि स्वीकृत करने पर चर्चा नही की जाती है अधिनियम एवं नियमों के उपाबन्धों की प्रभावी क्रियाविंति, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका एवं प्रावधानों का पुर्नविलोकन नहीं किया जाता है। डी.एच.आर.डी की यह जिम्मेदारी है कि वह बैठक के सदस्यों से मिलकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करने का सुझाव दे सकते है।

15. **ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग और विजिलेंस कमेटियों का गठन के लिए एडवोकेसी करनाः–** उक्त अधिनियम के नियम 17–क के अन्तर्गत वर्ष 2013 में ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग और विजिलेंस कमेटियों का गठन का प्रावधान किया गया जिसमें राज्य के प्रत्येक उपखण्ड में उपखण्ड मजिस्ट्रेट समिति का गठन करेगा जिसमें विधानसभा के सदस्य, पंचायतीराज संस्थाओं के चुने हुये प्रतिनिधि पुलिस उप–अधीक्षक, तहसीलदार, विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य रखने का प्रावधान है लेकिन राज्य में अभी तक ब्लॉक स्तर पर इन

समितियों का गठन नहीं किया गया है। इस की बैठक भी तीन माह में एक बार होने का प्रावधान है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों पर चर्चा करने एवं अधिनियम के उपाबन्धो का पुनर्विलोकन का प्रावधान है। डी.एच.आर.डी. ब्लॉक स्तर पर समितियों के गठन के लिए जिला कलेक्टर, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों व उपखण्ड अधिकारियों पर दबाव बना कर समितियों का गठन करवा सकते है।

16. पीड़ित व गवाहों के अधिकार :– किसी भी पीड़ित व गवाहों को किसी भी प्रकार हिंसा या धमकी मिलती है तो जिला कलैक्टर व पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानाधिकारी उनको संरक्षण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। पीड़ित को उसके प्रकरण की समस्त जानकारी पुलिस अथवा विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएेगी। पीड़ित विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अन्वेषण, जाँच विचारण के दौरान पीड़ितों को सम्पूर्ण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। सम्पत्ति नुकसान की भरपाई भी सरकार द्वारा की जायेगी। धमकी या हिंसा की एफ.आई.आर. थानाधिकारी अविलम्ब पंजीबद्ध करेंगे। पीड़ित आश्रितों को आकस्मिकता योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाऐं भी प्रदान की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियों यानि अनुसंधान की विडीयोग्राफी की जायेगी। यदि प्रशासन तथा पुलिस उपरोक्त वर्णित अधिकार नहीं प्रदान करते है तो विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रकरण के समक्ष विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय से सहायता मांगा जा सकता है।

17. व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध दण्ड संहिता में वर्णित अपराध अत्याचार की श्रेणी में :– भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध जो अत्याचार निवारण अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उनको (धारा 3(2)(अक) के अन्तर्गत अपराध माना गया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(1989 का अधिनियम संख्यांक 33)

11 सितम्बर, 1989

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुर्नवास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय 1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ.–**

(1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है;**

(2)इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषाऐं** – इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **''अत्याचार''** से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) **''संहिता''** से दंड प्रक्रिया, 1973(1974 का 2) अभिप्रेत है;

{(खख) **''आश्रित''** से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता–पिता, भाई और बहिन अभिप्रेत हैं जो ऐसे पीडित पर अपनी सहायता और भरण–पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं;

(खग) **''आर्थिक बहिष्कार''** से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) अन्य व्यक्ति से भाडे पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इन्कार करना; या

(ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिसमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजान्य अवसर सम्मिलित है; या

(iii)ऐसे निबंधनो पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यता की जायगी; या

(iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाऐं;

(खघ) **''अनन्य विशेष न्यायालय''** से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खङ) **''वन अधिकार''** का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा(1) में है।

(खच) **''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी''** का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियाजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (6) में उसका है।

(खछ) **''लोक सेवक''** से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित, लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है।

(ग) **''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों''** के वही अर्थ है जो संविधानके अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में है।

(घ) **''विशेष न्यायालय''** से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।

(ङ) ''विशेष लोक अभियोजक'' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है।

(ङक) **''अनुसूची''** से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ङख) **''सामाजिक बहिष्कार''** से किसी रूढिगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाये रखे जाएें या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत है।

(ङग) **''पीडित''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों '' की परिभाषा के भीतर आता है जो अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक या धनीय हानि या उसकी संपति को हानि वहन या धनीय हानि या उसकी संपति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अन्तर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी है।

(ङघ) **''साक्षी''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखना है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीडित सम्मिलित है।

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है और, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित है, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो क्रमशः उन अधिनियमितियों में है।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ अधिनियमिति या ऐसा उपबन्ध प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध के लिए दण्ड

धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –

3(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है,–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुँख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ उसे पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा

(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के कब्जा शुदा परिसर में या परिसरों में प्रवेश–द्वार पर मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है,

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के पडोस उसे क्षति पहुँचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पडोस में मल–मूल, कूडा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाता है या नग्न या अर्द्धनग्न अवस्था में घुमाऐगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक कोई ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे शरीर के कपड़े उतारना, बलपूर्वक उसका सिर का मुण्डन करना, मूंछें काटना, चेहरे या शरीर को पोतना या इसी प्रकार का ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरूद्ध हो।

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित

या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसकों आंवटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेता है या उस पर खेती करता है या ऐसी भूमि का अंतरित करा ली है,

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेदखल करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है या उसकी फसल को नष्ट करता है या उसके उत्पाद (पैदावार) को ले जायेगा;

स्पष्टीकरण— खंड (च) और इस खण्ड के प्रयोजन के लिए सदोष पद में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहाँ ऐसी सहमति उस व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके उस व्यक्ति की हितबद्ध है को मृत्यु या गंभीर उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है या;

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को कूट रचित किया है;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए विवश करता है,

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु—शवों की अंत्येष्टि या ले जाने के लिए या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को हाथ से मल की सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करता है या नियोजन के लिए स्वीकृति देता है

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को किसी देवी, मूर्ति, पूजा की वस्तु, मंदिर या अन्य किसी धार्मिक संस्था में एक "देवदासी" बनाता है या इसी प्रकार की किसी अन्य प्रथा के लिए प्रोत्साहित या प्रदर्शित करता है या इस प्रकार के कार्य की सहमति देता है।

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करता है या रोकता है,

(अ) मतदान न करने या किसी खास उम्मीद्वार के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने

(आ) किसी अभ्यार्थी के रूप में नाम नामांकन—पत्र फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को वापस लेने के लिए

(इ) किसी भी निर्वाचन में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के नामांकन पत्र का प्रस्ताव या समर्थन नही करेगें,

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो पंचायत की विधान पार्ट 9 नगर पालिका के विधानपार्ट 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या कोई अन्य पद का धारक है, को सामान्य कर्त्तव्यों व कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करता या रोकता है।

(ढ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चुनाव के बाद क्षति पहुंचाता है या गम्भीर क्षति पहुंचाता है या बल प्रयोग करता है या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थौपता है या उसे सार्वजनिक सेवा,जो उसे मिलनी चाहिये के परिलाभो को रोकता है,

(ण) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी विशिष्ट अभ्यार्थी के पक्ष में मतदान करने या मतदान नही करने पर या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने पर उसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई अपराध कारित करता है,

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करता है,

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्तियो का प्रयोग कराता है,

(द) जनता को दृष्टि गोचर किसी स्थान से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से उसको अपमानित या अभित्रस्त करता है,

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली–गलौंच करता है,

(न) ऐसी किसी वस्तु को जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतः पवित्र रूप में या अतिआदरणीय मानी जाती है, को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या दूषित करता है,

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के उद्देश्य में 'वस्तु' के तात्पर्य में सम्मिलित है मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है।

(प) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध लिखित या उच्चारित शब्दों द्वारा चिन्हों द्वारा अथवा वैमनस्य की भावना, घृणा या दुर्भावना को बढावा देता है या बढावा देने का प्रयास करता है,

(फ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के परम आदरणीय किसी दिवंगत व्यक्ति को लिखित या उच्चारित शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर अपमानित करता है,

(ब)(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को जानबूझकर छूता है साशय, यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है, जबकि यह छूने का कार्य, लैंगिक या यौन प्रकृति का है और जिसको उसकी इच्छा के विरूद्ध किया गया है,

(ii) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री के बारे में, यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो का अंगविक्षेपो का उपयोग करता है

स्पष्टीकरण– उपधारा (i) के प्रयोजनों के लिए, 'सहमति' की व्याख्या का अर्थ असंदिग्ध स्वैच्छिक सहमति से है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, इधारों या किसी अव्यक्त संचार व्यवस्था द्वारा इस काम के लिए अपनी इच्छा जताता है,

- परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध या प्राकृतिक विरोध नही करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकल्प में सहमति के रूप में नही माना जाएगा।
- परन्तु यह और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति नहीं समझा जायेगा या अपराध की गंभीरता को कम नहीं करेगा,

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले किसी जल स्त्रोत, जलाशय या जल के किसी अन्य उदगम को दूषित या गंदा करता है जिससे यह ऐसे प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति–जनजाति के सदस्यो के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणयता उपयोग किया जाता है।

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम स्थान के लोक समागम के मार्ग के रूढिजन्य अधिकार से वंचित करता है या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाता है जिससे कि वह के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निर्वारित करने के लिए बाधा पहुंचाता है जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है।

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास को छोडने के लिए मजबूर करता है या कराता है।

- परन्तु इस धारा में वर्णित कुछ भी लोक कर्त्तव्य के निवर्हन में की गई किसी कार्यवाही को लागू नही माना जायेगा।

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को इस सन्दर्भ में वंचित करता है या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाता है –

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या

श्मशान–भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सडक या मार्ग का उपयोग करने से

(आ) साईकिल या मोटर साईकिल पर चढने या सवारी करने से या सार्वजनिक स्थानों पर नये में जूते या नये कपडे पहनने से या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़ी या किसी साधन उपयोग करने से

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करने या जागरण सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेने या उसको निकालने से।

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल औषधालय, प्राथमि स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर आम जनता के उपयोग में लिए जा रहे किसी बर्तन या किसी वस्तु के उपयोग करने से,

(उ) कोई पेशा या व्यवसाय करने का या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करने, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार मानते हे, करने से

(यख) जादू–टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक संताप पहुचाता है या मानसिक यंत्रणा देगा।

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है या करने की उसकी धमकी देता है, वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नही होगी किन्तु पांच साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माने से दण्डनीय हो सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है–

धारा 3(2)(i) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है मिथ्या साक्ष्य देता या गढेता है जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को किसी अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है, दोषसिद्धी कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढे हुये साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता या गढता है, मृत्युदण्ड से दंडनीय होगा।

(ii) मिथ्या साक्ष्य देता है या गढता है जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदण्ड से दण्डनीय नही है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास से दण्डनीय है दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेता है जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या यह वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, यह आजीवन कारावास से और जुर्माने, से दण्डनीय होगा।

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास से दण्डनीय कोई अपराध {किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध यह जानते हुऐ करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित

जनजाति का संदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(va) अनुसूची में दर्शाया कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध, यह जानते हुये करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(अनुसूचि : भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारायें 120ए, 120बी, 141 से 148, 217, 319, 320, 323, 324, 325, 326बी, 332, 341, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 359, 363, 365, 376बी, 376सी, 447, 506, 509)

(vi) यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दण्ड के बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा, या

(vii) लोक सेवक होते हुये उस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

धारा 4 कर्त्तव्य उपेक्षा के लिए धारा 4 दण्ड—

धारा 4(2)(i)कोई भी लोकसेवक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करेगा तो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नही होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

धारा 4 (2)(ii) उपधारा (1) निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगें –

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढकर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।

(ख) सूचना को या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस अधिनियम की उपयुक्त धाराओं उपधाराओं व नियमों के अन्तर्गत दर्ज करना। इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधो के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सुचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरन्त प्रदान करना।

(घ) पीडितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।

(ङ) एक माह में जांच अनुसंधान पूरा कर 60 दिनों के अन्दर विशेष न्यायालय में या अनन्य विशेश नयायालय मे चार्ज शीट प्रस्तुत करना। यदि देरी हो तो लिखित में स्पष्टी करण प्रस्तुत करना। के अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलम्ब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना।

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका सही अनुवाद व संरचना करना,

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना,

- परन्तु लोक सेवक के विरूद्ध इस सम्बन्ध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

धारा 4(2)(ii) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्त्तव्य की अवहेलना के सम्बन्ध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जायेगा और लोक सेवक के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियों के लिए निर्देश दिया जायेगा।

धारा 5 पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्णित दंड.—कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्‌वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी दंडनीय होगा।

धारा 6 भारतीय दंड संहिता के कतिपय धारा 6 उपबंधों का लागू होना –इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुये, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते है।

धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण धारा 7.–

(i) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जायेगी।

(ii) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जायेगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह उस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा धारा 8 – इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि–

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के {अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किये गये अपराधों के सम्बन्ध में कोई वित्तिय सहायता की है} तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जायेगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

(ग) अभियुक्त, पीडित या उसके कुटुम्ब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीडित की जाति या जनजातिय पहचान का ज्ञान था।

धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना धारा 9 –(1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह–

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,

किसी जिले या उसके किसी भग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जल या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबन्धों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेगें।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होगें।

अध्याय 3

निष्कासन

धारा 10 ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है.–

धारा 10 (1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) के उपबन्धों के अधीन पहचान किये गये किसी क्षेत्र में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों ' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए और **तीन वर्ष** से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किये गये अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किये गए आदेश को प्रतिसहृंत या उपान्तरित कर सकेगा।

धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटाने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने को दशा में प्रक्रिया–

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए निर्देश जारी किया गया है–

(क) निर्देश किये गए रूप में हटने में असफल रहता है, या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तो के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूति सहित या उसके बिना, बंधपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिभूति सहित कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, अधिरोपित शर्तो का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधी के के अवसान पूर्व किसी अनज्ञा ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जायेगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसिन भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नही लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तो में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

12 ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना–

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप या फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो वह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (1960 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी है) नष्ट कर दिए जाएंगे या उससे व्यक्ति को सौंप दिये जाएंगे जिसके विरूद्ध आदेश किया गया था।

13 धारा 10 के अधीन आदेश के उलंधन के लिए शास्ति – वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किये गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

(1) राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधो का विचारन करने के लिए एक या अधिक जिलों के लिए विनिर्दिष्ट निवास विशेष व्यवस्था की स्थापना करेगी एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी :

- **परन्तु** ऐसे जिलों जहां अधिनियम के अधीन क्रम मामले अभिलिखित किए गए है, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी:
- **परन्तु** यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों में इस अधिनियम के अधीन अपराधों सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो माह की अवधि के भीतर निपटाए गये है।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां, दिन–प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए, जब तक कि विशेष न्यायालय का अनन्य विशेष न्यायालय, अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नही पाता हो:

- **परन्तु** जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

{14 ए. अपीलें–(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)में किसी बात के होते हुये भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय , दंडादेश या आदेश, जो अंतवर्ती आदेश नही है, के विरूद्ध अपील तथ्यों और विधि के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय में होगी।

(2) यह सरकार का कर्तव्य होगा कि, वह उचित संख्या में न्यायालय स्थापित करे जिससे जहां तक संभव हो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणो का निष्तारण 2 माह से पूर्ण होगा सुनिश्चित किया जा सके।

(2)दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 की उपधारा(3) मे किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मुजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दण्डादेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, **नब्बे दिन** के भीतर की जाएगी।

- परन्तु उच्च न्यायालय, **नब्बे दिन** की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास **नब्बे दिन** के भीतर अपील नही करने का प्रर्याप्त कारण था :
- परन्तु यह और कि कोई अपील, **एक सौ अस्सी दिन** की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नही की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासम्भव, अपील ग्रहण करने की तारीख से **तीन मास** की अवधि के भीतर होगा।

15 विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक–

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

अध्याय 4–क

पीडित और साक्षी के अधिकार

15 क. पीडित और साक्षी के अधिकार–

(1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीडितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

(2) पीडित के निष्पक्षता, सम्मान और गरीमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीडित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीडित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीडित को इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीडित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्ही दस्तावेजों या सारवान साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीडित या उसका आश्रित, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्धदोष या दंडदिष्ट या सिद्धदोष, दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्ध कार्यवाहियों या बहसों और सिद्धदोष करने के सम्बन्ध में कोई संबद्ध कार्यवाहियों या बहसें और लिखित तर्क फाईल करने के संबंध में कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,–

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय;

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास; और

(घ) पुनःअवस्थान।

(7) राज्य सरकार, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीडित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किये गये संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्ही कार्यवाहियों में किसी पीडित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है, कर सकेगा,–

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्ही अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना।

(ख) साक्षियों को पहचाना और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना।

(ग) पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीडन से सम्बन्धित किसी शिकायत के संबंध में तुरन्त कार्यवाही करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारीत करना।

▪ परन्तु खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायतों में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक, रूप से विचारित किया जायेगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किया जायेगा।

▪ परन्तु यह और कि जहां खंड (ग) के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरूद्ध, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लम्बित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति, पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरूद्ध करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षियों की अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरण या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित मे दी गई, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरन्त निःशुल्क दी जायेगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां विडियों अभिलिखित होगा।

(11) संबद्ध राज्य का, न्याय प्राप्त करने में पीडितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे–

(क) अभिलिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की निःशुल्क प्रदान की जा सके,

(ख) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरन्त राहत प्रदान की जा सके,

(ग) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके,

(घ) मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके,

(ड़) पीडितों को खाद्य या जल या कपडे या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रति दिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके।

(च) अत्याचार से पीडितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके।

(छ) शिकायत करने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीडितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके।

(ज) अभित्रास तथा उत्पीडन के अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

(झ) अन्वेषण और आरोपपत्र की प्रास्थिति पर अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोपपत्र की प्रति प्रदान की जा सके।

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सके।

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके।

(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो को जानकारी प्रदान की जा सके।

(ड) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो या व्यष्टिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथ उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके।

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो या व्यष्टिको के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके,

(12) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों का गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

16 **राज्य सरकार की सामूहिंक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति** –सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10 क के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होगें।

17 **विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही**–

(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस–उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति के नही है और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते है या बार–बार आते–जाते है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होने अपराध करने की धमकी दी है और यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार –ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए होगें लागू होगें।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुये बना सकेगी जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवरण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेगें।

18 **अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना**–संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नही होगी।

19 **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना**–संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के संबध में लागू नही होगें जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

20 **अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना**– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,

इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रूढि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें।

21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य–

(1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

(2) विशिष्टयता और पूर्वगामी उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेगा–

(i) ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्ति भी है, यात्रा और भरण–पोषण के व्यय की व्यवस्था।

(iii) अत्याचारों से पीडित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरूद्धार की व्यवस्था।

(iv) इस अधिनियम के उपबंधो के उल्लघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, ।

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना।

(vi) इस अधिनियम में उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय–समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था।

(vii) उन क्षेत्रो की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और ऐसे उपाय करना जिससे कि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वंय उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।

22 सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नही होगी।

23 नियम बनाने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रो में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप मे ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

अनुसूची

देखिए धारा 3(2)(vक)

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन धारा	अपराध का नाम व दण्ड
120क	आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा।
120ख	आराधिक षड्यंत्र का दंड।
141	विधिविरूद्ध जमाव।
142	विधिविरूद्ध जमाव का सदस्य होना।
143	विधिविरूद्ध जमाव के लिए दंड।
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरूद्ध जमाव में सम्मिलित होना।
145	किसी विधिविरूद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।
146	बल्वा करना।
147	बल्वा करने के लिए दण्ड।
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना।
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।
319	उपहति।
320	घोर उपहति।
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड।
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।
325	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड।
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेकना या फेकने का प्रयत्न करना।
332	लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
341	सदोष अवरोध के लिए दण्ड।
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड।
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354ग	दृश्यरतिकता।
354घ	पीछा करना।
359	व्यपहरण
363	व्यपहरण के लिए दण्ड।
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
447	आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड।
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड।
509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) नियम, 1995
यथा संशोधित नियम, 2016

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 है। (2) यह राज पत्र प्रकाशन की तारिख प्रवृत होगें

2. **परिभाषाऐं**–इन नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) अभिप्रेत है

(ख) ''आश्रित'' से पीडित के पिता या पत्नि, बालक, माता–पिता, भाई और बहिन अभिप्रेत है जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीडित पर पूर्णततया या मुख्यतया आश्रित है।

(ग)''परिलक्षित क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है।

(घ) ''गैर सरकारी संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजों या ऐसे संगठनो के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समंय प्रवृत किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है।

(ङ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(छ) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

(ज) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में है।

3. **पूर्ववधानात्मक और निवारक उपाय**–(1) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के निवारण की दृष्टि से–

(i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी, जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आंशका है।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने और विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के उपदेश देगी,

(iii) यदि आवश्यक समझा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नही है, उनके निकट संबंधियों, सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय मित्रों के आयुधों के लाईसेंसो को रद्द करेगी एसे आयुधों को सरकारी शस्त्रागार में जमा करवाएगी

(iv) सभी अवैध अग्न्यायुधों का अभिग्रहण करेगी तथा अग्न्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्ध करेगी।

(v) व्यक्ति और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यदि आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी।

(vi) अधिनियम के उपबन्धो के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी,

(vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सर्तकता और मॉनीटरी समिति की स्थापना करेगी।

(viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों

या नियमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनकों उपलब्ध उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य सथान पर जागरूकता केन्द्रों कर स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी।

(ix) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी औश्र उन्हे आवश्यक वित्तिय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।

(x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी।

(xi) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितिओं के कार्यकरण, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के लिए उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियो और अन्य अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी।

4. **अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना–** {(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हो जैसा वह विशेष न्यायालयों) और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उप–नियम (1) और उप–नियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जायंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगें।

(2) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक / अभियोजन का भारसाधक एक कलेण्डर वर्ष में 2 बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगें और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सम्यक सावधानी नही किया है तो उसका नाम, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से अधिसूचना निकाल दिया जाएगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को–

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति,

(ख) इस अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबंधो के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और गवाहों के अधिकारों कार्यान्वयन,का पुर्नविलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के सम्बंध में की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही विनिर्दिष्ट होगी।

(5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार के पीडित व्यक्ति ऐसा चाहे तो विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ट अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा।

(6) विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक को फीस का भुगतान, राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियत अन्य पैनल अधिवक्ताओं से उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा।

5. **पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सूचना**–(1) अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने से संबधित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जायेगी और ऐसी सूचना देने वाले को पढकर सुनाई जायेगी और प्रत्येक

सूचना, चाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखबद्ध की जाती है इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार लेखबद्ध की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल मुफ्त दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबद्ध करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ओर से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषण के पश्चात लिखित रूप में एक आदेश उस सूचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किये जाने के लिए संबंधित पुलिस थाने भारसाधक अधिकारी को देगा।

6. **अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण**– (1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उपाधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुये जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं घटनास्थल पर जायेगा और राज्य सकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर –

(i)राहत के हकदार पीडितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनायेगा।

(ii) अत्याचार पीडितों की सम्पत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

(iii) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त का आदेश करेगा।

(iv) साक्षियों और पीडितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय करेगा।

(v) पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

7. **अन्वेषण अधिकारी**–(1) अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी, की नियुक्ति राज्य सरकार/पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, मामले की विवक्षाओं को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर की जाएगी। {(2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरन्त राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने कर भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलम्ब यदि कोई अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जायेगा।

{(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है) संबद्ध राज्य संघ राज्य क्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुर्नविलोकन करेगा।

8. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना** –(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा–

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था ओर प्रशांति बनाए रखना

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(iv) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना

(vi) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना।

{(vi क) अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करेगा।

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किय गये अन्वेषण और स्थल पर किये गए निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करना।

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ करना।

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना।

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की गई स्थिति का पुनर्विलोकन करना।

(xi) उपर्युक्त के संबध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गई/की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक प्रश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9. **नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन करना**– राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, नोडल अधिकारी नाम निदेर्शित करेगी। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी निम्नलिखित पुनर्विलोकन करेगाः–

(i)नियम 4 के उपनियम (2)और उपनियम (4) नियम 6,नियम 8के खण्ड (गप) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट,

(ii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति

(iv) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय

(v) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता,

(vi) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर–सरकारी संगठनो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन।

{(vii) अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।}

10. **विशेष अधिकारी की नियुक्ति**–परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जाएगी।

विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

(i) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाऐं प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को

निवारित करने या उससे बचने कें आवश्यक उपाय करना।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रिय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का उपयोजन करना।

(iii) गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाऐं, वित्तिय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।

11. अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रितों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाऐं–

(1) अत्याचार पीडित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाडा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाडे का संदाय किया जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीडित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन की सुविधाऐं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(3) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसकी, आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्ता वाला व्यक्ति अपनी पंसद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाये जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीडित व्यक्ति को देय यात्रा और भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जायेगा।

(4) साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिवार को अपराध के अन्वेषण सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जायेगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नही होगा।

(5) साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण–पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत करे।

(6) पीडित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेष्ज्ञण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सम्बन्धित अधिकारी के पास अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जायेगा।

(7) जब अधिनियम की धारा 3 अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श, रक्तदान, बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

12. जिला प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपाय–

(1)जीवन हानि और सम्पत्ति के हुए नुकसान का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्र पीडित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जायेंगे जहां अत्याचार किया गया है।

(2)पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इत्तिला रिपोर्ट संबंधित थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये है।

(3)पुलिस अधीक्षक, मौके पर निरीक्षण के पश्चात तत्काल एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हे वह उचित और आवश्यक समझे।

(4)जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यकारी आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीडितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीडितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनो में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरन्त अनुतोष में भोजन, जल, कपडे, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित है।

(4अ)खजाने से तुरन्त धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15–क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुर्नवास का आदेश भी कर सकेगा।

(5)उपनियम (4) के अधीन अत्याचार पीडित व्यक्ति या उसके / उसकी आश्रित की मृत्यु या क्षति अथवा सम्पत्ति को हुये नुकसान की बाबत राहत तत्काल प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाले किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।

(6)उपनियम (4) में उल्लिखित राहत और पुर्नवास सुविधाऐं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची में दिये गये मान के अनुसार प्रदान की जायगी।

(7)जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा पीडित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की रिपोर्ट विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जायगी। यदि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय पीडित व्यक्ति अथवा उसका / उसकी आश्रित को समय पर नही किया गया अथवा राहत या प्रतिकर पर्याप्त नही था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13. **अत्याचार से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन–**

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो।

14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व–**

(1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15–क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीडितों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक उपबन्ध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष अभियोजक के कार्यपालन का जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए निवारात्मक कदमों, पीडितों को दिये गए अनुतोष और पुर्नवास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों से संबंध में रिपोर्टो का पुनर्विलोकन करेगी।

15. **राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना**—राज्य सरकार, अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनायगी और उसे कार्यान्वित करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर, उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कार्यो का एक पैकेज होगा :—

(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनो में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना

(कक) अधिनियम के अध्याय 4—क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विर्निदिष्ट न्याय तक पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम

(ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन

(ग) पुनर्वास पैकेज

(घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीडित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम

(ङ) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीडित वृद्धों के लिए पेंशन की स्कीम

(व) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर,

(छ) पीडित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ करने के लिए स्कीम

(ज) पीडित व्यक्तियों को ईंट/पत्थर चिनाई गृह उपलब्ध कराने की व्यवस्था

(झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अंत्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिकवास तक सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाऐं।

(2) राज्य सरकार, आकस्मिकता योजना की अथवा उसके सार की एक प्रति और स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करेगी।

16. **राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन**—

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासक—अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा।

(ii) गृहमंत्री, वित्तमंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री—सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे)

(iii)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबन्धित संसद, राज्य विधानसभा और विधान परिषद् के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे।

(iv)मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग के सदस्य होंगे।

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव।

(2)उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4 क— की धारा 15—क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीडित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे समबन्धित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो जिनके अन्तर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टे भी है, का

पुनर्विलोकन करने के लिए कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

17. **जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन–** (1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाऐं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनर्विलोकन के लिए {अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम} अपने जिले में सर्तकता और मॉनीटरी समिति का स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति में निर्वाचित संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के चुने गए सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति सं संबंधित 5 से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य तथा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्गों के ऐसे 3 से अनधिक सदस्य होगें जो गैर–सरकारी संगठनों से सम्बद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य–सचिव होंगे।

(3) जिला स्तरीय समिति की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

{17–क **उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन** – राज्य के प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अपने उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन का, पीडितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो का पुनर्विलोकन करने के लिए अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम} एक सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन करेगा।

{(2) उपखण्ड स्तरी सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति में उप–खण्ड से राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप–अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक आशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनो से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न प्रवर्गो से दो से अनधिक सदस्य होगें।

{(3) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक विकास अधिकारी होगें।}

{(4) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

18. **वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री–** राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से पहले केन्द्रिय सरकार को अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए किए गये उपायों और इसके द्वारा पिछले कलेण्डर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व संशोधन अधिनियम 2015 के (नियम 12(4) के तहत दलित पीडितों को मिलने वाली राहत राशि के लिए मापदंड

क्रसं	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना {अधिनियम की धारा 3(1)(क)}	पीडित व्यक्ति को एक लाख रूपये। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए:
2.	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ख)}	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत,
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ग)}	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत, (iii) जब अभियुक्त व्यति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1)(4)और (5) के लिए 25 प्रतिशत
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना {अधिनियम की धारा 3(1)(घ)}	
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना {अधिनियम की धारा 3(1)(ड़)}	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना {अधिनियम की धारा 3(1)(च)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी है, के साथ हस्तक्षेप करना {अधिनियम की धारा 3(1)(च)}	
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम {अधिनियम की धारा 3(1)(ज)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
9.	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना {अधिनियम की धारा 3(1)(झ)}	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)}	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने {अधिनियम की धारा 3(1)(ट)}	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)}	पीड़ित व्यक्ति को पिच्चासी हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार

13. पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना {अधिनियम की धारा 3(1)(ड)} 14. मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहि कार का अधिरोपण {अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)} 15. किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ण)}	किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
16. मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(त)}	पीड़ित व्यक्ति को पिच्यासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
17. किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना {अधिनियम की धारा 3(1)(थ)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
18. लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास {अधिनियम की धारा 3(1)(द)} 19. लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ध)} 20. धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रृद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना {अधिनियम की धारा 3(1)(न)} 21. शत्रुता, घृणा व वैमनस्य की भावनाओं में अतिवृद्धि करना {अधिनियम की धारा 3(1)(प)} 22. अति श्रृद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना {अधिनियम की धारा 3(1)(फ)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
23. किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:

	अंगविक्षेपों का उपयोग करने जो लैंगिक प्रकशति के कार्य के रूप में हो, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ब)}	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड सहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैंकने या फैंकन का प्रयत्न करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)}	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और/या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए: (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ.क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ.क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) दृश्यरतिकता {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।

29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ.क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ.क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376–ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ.क)}	पीड़ित व्यक्ति को 4 लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(भ)}	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहूंच रखने में बाधा पहुंचाना {अधिनियम की धारा 3(1)(म)}	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपये और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना {अधिनियम की धारा 3(1)(य)}	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनष्ट हो

		गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना –	
	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)}	अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को अथवा किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन किसी सडक या रास्त को उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपये की राहत संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)}	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोडे की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा निकालना या उनमें भाग लेना। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)}	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुकान या	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या

	सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)}	किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग, की राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष । संदाय निम्नानुसर किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (ii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)}	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहूंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना। पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसर किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
37.	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यख)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए और अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना {अधिनियम की धारा 3(1)(यग)}	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढना। {अधिनियम की धारा 3(2)(प) और (पप)}	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। {अधिनियम की धारा 3(2)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरबदल हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया जो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।

41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे दण्ड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्त किया गया है। {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अं)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरबदल हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया जो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। {अधिनियम की धारा 3(2)(अपप)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिट विभिन्न निशक्तओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है। (क) शत–प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैः
	(ख) जहां अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैः
44.	बलात्संग सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (I) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत।

		(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बालत्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा:– (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध (ii) पीड़ित के बालकों को स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रय स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबन्ध। या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपबन्ध कराना
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।''

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
(PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT) 1955

छुआछूत या अस्पृश्यता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति अछूत माने अर्थात उसे छुये नहीं या उसके पास जाने से कतराए। वास्तव में यह कुरीति व्यक्ति एवं समाज के लिए दुःखकर है। हमारे देश में यह कुरीति बहुत ही गहरी जडों के साथ जमी हुई है। हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है जिसमें शूद्र वर्ग अन्य वर्गो की सेवा करता था एवं बदले में लोग उसे अछूत मानते थे।

महात्मा गांधी ने भी हमारे देश से छुआछूत को समाप्त करने का बीडा उठाया एवं इसके लिए भरसक प्रयत्न भी किये। बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिली। हरिजन शब्द भी महात्मा गांधी की ही देन है। उनके प्रयत्नों के बाद भी छुआछूत का रोग हमारे देश से समाप्त नहीं हो सका लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई कि देश की तरक्की के लिए छुआछूत को समाप्त करना आवश्यक है। अतः हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 को स्थान दिया गया जिसमें कि छुआछूत को समाप्त कर दिया माना गया है। उसके बाद 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, 1955 पारित किया गया जिसने छुआछूत को एवं उससे जुडे हुये अन्य कार्यों को अपराध घोषित किया एवं उन सभी के लिए दण्ड का प्रावधान रखा गया परन्तु यह कानून बहुत ही अप्रभावकारी सिद्ध हुआ और छुआछूत का प्रचलन चलता रहा। 19 नवम्बर 1976 को संसद ने इस कानून को संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT) 1955 का नाम दिया और 15 दिसम्बर, 1977 से लागू किया गया। इस संशोधित एक्ट में छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनेक प्रभावकारी और कडे प्रावधानों को शामिल किया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के मुख्य प्रावधान व उसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

यह अधिनियम छुआछूत के प्रचार और आचरण सम्बन्धी बातों के लिए दंड का प्रावधान करता है। नागरिक अधिकार का आशय ऐसे अधिकार से है जो संविधान के अनुच्छेद 17 (मूल अधिकार) के द्वारा छुआछूत समाप्त किये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अधिनियम सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर समान रूप से जाने का अधिकार प्रदान करता है एवं छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में जाने पर रोक लगाने पर दंड की भी व्यवस्था करता है।

1. धर्म के आधार पर भेदभाव

यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पूजा के स्थान में जाने से रोकता है या किसी सार्वजनिक मन्दिर में पूजा, प्रार्थना या धार्मिक सेवा करने से रोकता है या किसी धार्मिक तालाब, कुऐं या नदी में स्नान करने से रोकता है तो वह व्यक्ति कम से कम एक माह व अधिक से अधिक छः माह के कारावास और कम से कम एक सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

2. सामाजिक भेदभाव करने पर दण्ड

जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित बातों पर छुआछूत के आधार पर भेदभाव करेगा तो वह कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक छः माह तक के कारवास एवं कम से कम एक सौ रूपये एवं अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

(i) किसी दूकान, सार्वजनिक जलपान–गृह या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने पर,

(ii) किसी सार्वजनिक जलपान–गृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में बर्तन एवं अन्य वस्तुओं का उपयोग करने पर

(iii) कोई व्यवसाय या धन्धा करने पर

(iv) किसी नदी, झरना, कुऐं, तालाब, हौद, पानी के नल के अन्य स्थान का या किसी स्नान घाट, कब्रिस्तान या शमशान, सडक या सार्वजनिक स्थान जिसका उपयोग जनता के अन्य सदस्य करने के अधिकारी है, का उपयोग करने या उनमें प्रवेश करने

(v) राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग में ली जाने वाली सम्पत्ति या स्थान में प्रवेश करने पर

(vi) जन साधारण के फायदे के न्यास (दान) की गई सम्पत्ति का उपयोग करने में

(vii) सार्वजनिक सवारी के साधनों का उपयोग करने पर

(viii) किसी रहने योग्य स्थान निवास हेतु उपयोग करने पर

(ix) किसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने का जो जनसाधारण के लिए खुला हो, का उपयोग करने पर

(x) किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा या रिवाज का पालन करना (जुलूस निकालना आदि) या

(xi) गहनों एवं सजावट के साधनों का उपयोग करने पर

3. अस्पताल आदि में छुआछूत के आधार पर प्रवेश से इनकार करने के लिए दण्ड

जो कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल या औषधालय या शिक्षण संस्थान या छात्रावास (जो जनसाधारण के फायदे के लिए चलाऐं जाते है) में प्रवेश करने देने से इनकार करेगा या उपरोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश करने देने से इनकार करेगा या उपरोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश करने के बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभावपूर्ण कार्य करेगा तो उसे कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक छः माह के कारावास और कम से कम सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

4. छुआछूत के आधार पर माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए दण्ड

जो कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से इनकार करेगा तो उसे कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक छः माह के कारावास और कम से कम सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

5. कम्पनी, फर्म, संस्था या संस्थान द्वारा कानून का उल्लंघन

अगर, कोई कम्पनी, फर्म, संस्था या संस्थान इस कानून का उल्लंघन करती है, तो इनके प्रमुख या इन्चार्ज को अपराधी ठहराया जायेगा। सजा के रूप में सरकार द्वारा इनका लाइसेन्स परमिट, अनुदान (ग्रांट) आदि को रद्द किया जा सकता है।

6. छुआछूत से उत्पन्न होने अन्य अपराधों के लिए दण्ड

जो कोई–

(i) किसी को संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत का अन्त करने से प्राप्त होने वाले अधिकार से वंचित करता है।

(ii) किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार के प्रयोग में पीडा पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है या बाधा पहुंचाता है जिससे वह व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग नही कर सके,

(iii) किसी व्यक्ति या वर्ग या जनसाधारण को बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा संकेतो या इशारों के द्वारा छुआछूत का आचरण करने के लिए उकसाता है,

(iv) अनुसूचित जाति के सदस्य का छुआछूत के आधार पर अपमान करता है तो उसे कम से कम एक माह एवं अधिक से अधिक छः माह के कारावास और कम से कम सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

6. गैर कानूनी अनिवार्य श्रम को कब छुआछूत समझा जायेगा

जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा सफाई करने या मरे हुये पशु को हटाने या किसी पशु की खाल हटाने या इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य करने के लिए छुआछूत के आधार पर मजबूर करेगा तो उसे छुआछूत का आचरण समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीन माह एवं अधिक से अधिक छः माह के कारावास और कम से कम सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

7. छुआछूत का दुष्प्रेरण

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छुआछूत करने के लिए उकसाता है तो उसे छुआछूत के अपराध के दंड से दंडित किया जायेगा।

8. अपराध की पुनर्रावृत्ति के लिए दंड

यदि कोई व्यक्ति पहले एक बार छुआछूत के (दुष्प्रेरण के दोष के) लिए दंडित होने के बाद दोबारा अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो निम्न प्रकार दंडित किया जायेगा।

(i) दूसरी बार अपराध के लिए कम से कम छः माह एवं अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावास और कम से कम दो सौ रूपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

(ii) तीसरी बार या अन्य बार अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष एवं अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कारावास और कम से कम पांच सौ रूपये और अधिक से अधिक एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

इस अधिनियम में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखे गये है, जैसे–

Summary Trial (सरसरी तौर पर मुकदमा)

9. इस कानून के अन्तर्गत किया गया हर अपराध मान्यजुर्म संज्ञेय (Cognizable) माना जाता है अर्थात इसके मुजरिम को पुलिस अफसर बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता। हर ऐसे जुर्म का फैसला जिसकी सजा तीन माह की कैद से अधिक नहीं है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सरसरी तौर पर मुकदमा सुनकर किया जा सकता है। सरसरी तौर पर चलायें गयें मुकदमों (Summary Trial) का तरीका सरल होता है ताकि मुकदमें जल्दी से जल्दी तय कियें जा सकें।

निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी मुजरिम पर होती है।

अपराध के मुकदमों (Criminal Cases) में मुजरिम को साधारणतया गुनाह साबित न होने तक अपराधी नही समझा जाता है तथा उसके खिलाफ अपराध साबित करने की जिम्मेदारी अपराध का आक्षेप लगाने वाले पर होती है परन्तु छुआछूत के अपराध में इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दोष या बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी मुजरिम पर होती है। दूसरे शब्दों में पीडित व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति का है, तो छुआछूत के आधार पर प्रथम दृष्टया (Prima-Facie) यह समझा जाता है कि वर्जित अपराध किया गया है।

संशोधित कानून के अनुसार छुआछूत के सारे मामले संज्ञेय माने जायेंगे तथा ऐसे मामलों में समझौता करने का कोई प्रावधान (Non compoundable) नही होगा।

इस कानून में संशोधन के बाद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति धार्मिक, ऐतिहासिक या किसी दर्शन की आड में छुआछूत या छुआछूत को बढावा देने वाली परम्परा को प्रचारित करता है तो उसे इस कानून की निगाह में अपराध समझा जायेगा।

संशोधित कानून के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से बनाये गये या व्यवस्थित किये जाने वाले सभी पूजा–स्थलों, मंदिरो व धार्मिक स्थलों को जो सार्वजनिक पूजा अर्चना के लिए खुले रखे जाते हो, लाया गया है।

इस संशोधित कानून के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे उन स्थानों पर जहां छुआछूत के कारण ज्यादा अपराधों की घटनाऐं होती हों, वहां के सम्बन्धित निवासियों पर सामूहिक जुर्माना वसूल कर सकती है।

जो व्यक्ति छुआछूत बरतने के अपराध में कोर्ट द्वारा दण्डित होगा वह 6 वर्ष तक संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लडने के अयोग्य माना जायेगा।

इस कानून के अन्तर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु वाले अपराधी पर प्रोबेशन ऑफ ओफेन्डरस एक्ट 1955 का कोई प्रावधान किसी भी कीमत पर लागू नही हो सकेगा।

इस संशोधित कानून की धारा 15 ए–4 के अन्तर्गत पहली बार केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह राज्य सरकारों द्वारा इस कानून को कडाई से लागू करवाने के लिए समन्वय स्थापित करें और राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में उठायें गये कदमों की प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करें।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
(PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT) 1955

(संविधान के अनुच्छेद –17 द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के पश्चात् संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से 1976 में इसमें आवश्यक संशोधन किये गये। अब इस अधिनियम को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम जाना जाता है)

धारा 1– (अ) यह अधिनियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहलायेगा।

(ब) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा ।

(स) केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्रक में अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से यह लागू होगा

धारा 2— इस अधिनियम के अन्तर्गत, किसी प्रसंग में जब तक इसकी मांग न हो।

(अ) नागरिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद –17 द्वारा "अस्पृश्यत" उन्मूलन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को मिले अधिकार

(ब) होटल जलपान गृह, विश्राम गृह, भोजनालय , कॉफी हाऊस , चायघर इत्यादि।

(स) स्नान घर भवन, अथवा अन्य ढांचा उसकी परिसीमा, तंबू वाहन, जलयान सहित

(द) सार्वजनिक मनोरंजन स्थल – कोई भी मनोरंजन स्थल जो आम जनता के लिए खुला हो स्पष्टीकरण : कोई भी प्रदर्शनी, खेल, तमाशे, मन बहलाव के साधन "मनोरंजन" के अन्तर्गत आते हैं।

(च) पूजा स्थल – किसी भी नाम से पुकारे जाने वाला वह स्थल, जिसे किसी धर्म के अनुयायी, सार्वजनिक रूप में धार्मिक पूजा के लिए सामान्यतः उपयोग करते हों। इसके अतिरिक्त वह स्थल भी जिसमें किसी भी धार्मिक नाम या मत से जाने वाले लोग धार्मिक अनुष्ठान या प्रार्थना करते हों और सम्मिलत हैं–

(i) ऐसे स्थल से संलग्न सभी भूमि एवं सहायक मंदिर।

(ii) वे निजी पूजा स्थल जिसके स्वामी द्वारा सार्वजनिक पूजा के उपयोग की अनुमति दी गयी हो ।

(iii) ऐसी भूमि एवं सहायक मंदिर जो उस निजी पूजा स्थल से संलग्न हों जिसके स्वामी द्वारा सार्वजनिक पूजा के उपयोग की अनुमति दी गयी हो।

(छ) दूकान–ऐसी कोई भी परिसीमा जहाँ सामान की थोक एवं फुटकर बिक्री होती हो सम्मिलित हैं

(i) जिस स्थल से विक्रेता द्वारा या फेरी द्वारा गाडी या चल वाहन द्वारा बेचा जाता हो।

(ii) कपडे धुलाई , बाल कटाई की दुकानें।

(iii) और कोई स्थान जहां ग्राहकों को सेवायें उपलब्ध हों।

धारा 3— अस्पृश्यता के कारण किसी व्यक्ति को कोई भी रोकता है–

(अ) सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से जो कि उसी धर्म को मानने वाले अन्य लोगों या उनके आंशिक लोगों के लिए खुला हो ऐसा व्यक्ति या

(ब) सार्वजनिक पूजा स्थल पर पूजा अथवा प्रार्थना करने पर या पवित्र तालाब, कुओं झरनों या जल स्रोतों जैसे – नदी, झील या घाट पर उसी प्रकार नहाने या पीने के पानी का उपयोग रोकता है जो सुविधायें अन्य लोगों को प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्ति की सजा 1 माह से लेकर 6 माह तक का कारावास और 100 रूपये से 500 रूपये का दण्ड ।

(इस खण्ड के अनुसार बौद्ध, सिक्ख, जैन सहित वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्राह्मोसमाजी, प्रार्थना समाजी, आर्य समाजी एवं स्वामी नारायण संप्रदाय के सभी लोग हिन्दू माने जायेंगे)

धारा 4— कोई भी अस्पृश्यता के आधार पर निम्नलिखित के लिए किसी व्यक्ति को निर्योग्य ठहराता है–

(i) दुकान, सार्वजनिक जलपान गृह, होटल, या आमोद–प्रमोद स्थल पर जाने से, अथवा

(ii) सार्वजनिक जलपान गृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिर खाने में सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे हुए बर्तन या समाज के उपयोग करने से

(iii) किसी धंधे व्यवसाय, व्यापार या किसी भी प्रकार की नौकरी करने से अथवा

(iv) किसी नदी, झरने, नाले, कुऐं, जलकुंड, नल जैसे– स्थल, स्नानघाट, शमशानघाट का उपयोग एवं पहूँच से, किसी शौचालय सुविधा, सडक, पगडंडी या किसी सार्वजनिक आश्रय स्थल जिस पर जनसाधारण के दूसरे लोगों (या काई वर्ग विशेष) की पहूँच या उपयोग के अधिकार से अथवा

(v) जिन पर जनसाधारण के अन्य लोगों (या वर्ग विशेष) की पहूँच या उसके उपयोग का अधिकार हो, ऐसे धर्मार्थ या जनहित के स्थल जो राज्य द्वारा आशिंक या पूर्णतया अनुदानित हो उनके उपयोग एवं उनतक पहूँच , अथवा

(vi) सार्वजनिक (या वर्ग विशेष) के हित में धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आमोद– प्रमोद के लिए , अथवा

(vii) सार्वजनिक वाहन की पहूँच एवं उनका उपयोग, अथवा

(viii) किसी भी स्थान पर भवन निर्माण या किसी निवास स्थल के अधिग्रहण से अथवा

(ix) सार्वजनिक (या वर्ग विशेष) के उपयोग के लिए खुली धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखानों के उपयोग से, अथवा

(x) किसी सामाजिक एवं धार्मिक रीति–रिवाज या समारोह या (किसी सामाजिक धार्मिक या सांस्कृतिक जलूस निकालने, अथवा उसमें सम्मिलित होने से)

(xi) आभूषण और सजावट के उपयोग से

(कम से 1माह से लेकर 6 माह तक का कारावास और 100 रूपये से 500 रूपये के दण्ड की सजा होगी)

(स्पष्टीकरण : इस धारा के उद्देश्यों में किसी निर्योग्यता को लागू करने में अस्पृश्यता के आधार पर पक्षपात सम्मिलित हैं)

धारा 5— अस्पृश्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति –

(अ) यदि ऐसे अस्पताल, औषधालय, शैक्षिक संस्थाऐं अथवा छात्रावास जो जन–साधारण या वर्ग विशेष के लिए स्थापित या अविलंबित हों वहां प्रवेश की अनुमति नहीं देता है।

(ब) ऐसे उपरोक्त संस्थानों में प्रवेश के पश्चात् उस व्यक्ति के साथ भेदभाव बरतता हैं।

धारा 6— जो कोई भी अपने आम रीति के अनुसार व्यापार में जिन शर्तो और परिस्थितियों में अन्य दूसरे लोगों को अपना सामान बेचता है, उसी समय उसी स्थान पर यदि किसी व्यक्ति को "अस्पृश्यता" के आधार पर उसी दर पर समय या स्थान पर सामान बेचने से इंकार करता है तो उसके लिए 1 माह से लेकर 6 माह तक के कारावास तथा 100 रूपये तक का आर्थिक दंड होगा।

धारा 7— जो कोई भी (अ) "अस्पृश्यता उन्मूलन" से प्राप्त अधिकारों के उपयोग करने से रोकता है, अथवा

(ब) इन अधिकारों के उपयोग से यदि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को परेशान करता है, चोट पहुँचाता है, उत्पीडित करता है अथवा उसे रोकता हैं अथवा बाधायें उत्पन्न करता करता है अथवा बहिष्कार करता है, अथवा

(स) कोई भी जनता को या वर्ग विशेष को छुआछूत (अस्पृश्यता) पालन के लिए मौखिक, लिखित शब्दों, इशारों, दृष्य प्रतिवेदन या किसी भी प्रकार से उकसाता है, अथवा

(द) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को "अस्पृश्यता" के आधार पर अपमानित करता है या अपमानित करने का प्रयास करता है

(उसे 1 माह से 6 माह तक का कारावास और 100 रूपये से 500 रूपये जुर्माने की सजा होगी)

स्पष्टीकरण : उस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का बहिष्कार माना जायेगा जो–

(अ) किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि और मकान का कब्जा लेने से किसी काम का ठेका लेने से व्यापार करने से उसे किसी परंपरागत सेवाओं को लेने से वंचित करता है, जो कि वह अन्य लोगों को व्यापार आदि में उपलब्ध कराता है।

(ब) ऐसे सामाजिक, व्यवसायिक अथवा पेशे पर आधारित संबंध जो वह अन्य लोगों के साथ निभाता है वह उसमें अनुपस्थित रहता है।

{स्पष्टीकरण}

धारा 7 (स) के अनुसार कोई व्यक्ति "अस्पृश्यता" को प्रोत्साहित करने का दोषी माना जायेगा–

(1) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में "अस्पृश्यता" किसी अन्य रूप में पालन करता हो।

(2) यदि वह "अस्पृश्यता" के किसी भी रूप को जातीय प्रणाली, धार्मिक दार्शनिक या ऐतिहासिक आधार पर न्यायोचित ठहराता है।

{(1A) संविधान के अनुच्छेद –17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग से बदले की भावना से किसी व्यक्ति के विरूद्ध या सम्पत्ति पर आपराधिक हमला करने वाले को जुर्माने सहित कम से कम 2 साल का कारावास होगा}

(2) जो कोई व्यक्ति –

(i) किन्ही सामुदायिक वस्तुओं या उनके प्रभाग को उस व्यक्ति को देने से इनकार करता है जिस पर उस समुदाय का अंग होने के नाते उसका भी अधिकार बनता हो।

(ii) जिस व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढाया हो या जिसने "अस्पृश्यता" पालन करने का विरोध

किया हो ऐसे व्यक्ति से संबन्ध विच्छेद कर लेता हो।

{उसे 1 माह से 6 माह के कारावास सहित 100 रूपये से 500 रूपये तक के जुर्माने की सजा होगी}

धारा 7ए (i) अस्पृश्यता के आधार पर जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मलमूत्र उठाने , सफाई करने, मरे पशुओं को उठाने, पशुवध करने, नवजात शिशु की नाल काटने या ऐसे ही कार्य को मजबूर करता है।

धारा 7ए (i) में वर्णित अपराध के साथ–साथ अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यता लागू करने वाले को कम से कम 3 माह से 6 माह का कारावास और 100 रूपये से 500 रूपये की सजा होगी।

(स्पष्टीकरण–इस धारा के उद्देश्य में " मजबूर करने में" सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार भी सम्मिलित हैं)

धारा 8–धारा 6 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को अपराध में दोषी पाया गया है उसके धंधे, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी तथा नियुक्ति संबंधी सभी प्राप्त लायसेंसों को सजा का पक्षपात किये बिना न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले समय तक निरस्त या स्थगित किये जायेगें। इस सम्बन्ध में कोर्ट का आदेश स्थगित या निरस्त करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करने के समान माना जायेगा।

(स्पष्टीकरण– इस धारा में परमिट या अनुमति भी लायसेंस में सम्मिलित मानी जायेगी)

धारा 9–सार्वजनिक पूजा स्थल या कोई शिक्षण संस्थान या छात्रावास जो सरकार द्वारा दी गई भूमि पर निर्मित हो अथवा आर्थिक रूप से अनुदानित हो ऐसे न्यास का प्रबंधक या न्यासी यदि इस धारा के अन्तर्गत दोषी पाया गया और जिसकी सजा को अपील या पुनर्वीक्षण द्वारा न तो निरस्त किया और न ही बदला गया ऐसी स्थिति में सरकार मामले की परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात यदि आवश्यक समझे तो, सम्पूर्ण या आंशिक अनुदान राशि को बंद या स्थगित करने का आदेश दे सकती है।

धारा 10–जो कोई भी इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध को बढावा देता है उसे भी इस अपराध के लिए निर्धारित सजा दी जायेगी।

(स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध की जांच–पडताल में किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जान–बूझकर की गई लापरवाही को भी इस अधिनियम में एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा)

10अ (1) नियमानुसार निश्चित की गयी जांच पडताल के पश्चात् यदि राज्य सरकार को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये आपराधिक कृत्य को बढ़ावा दे रहे है या अपराध में लिप्त लोगों को शरण दे रहे हैं या अपराधियों को ढूँढने और पकड़वाने में अपेक्षित सहयोग नही कर रहे है या ऐसे अपराध घटना के ठोस प्रमाणों को छुपा रहे है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार राजपत्रक द्वारा अधिसूचना प्रकाशित करवा कर, जो भी राज्य सरकार उचित समझे, ऐसे लोगो पर सामूहिक जुर्माना कर सकती है। ऐसे जुर्माने की राशि को व्यक्ति की आय स्त्रोत के साधनों के अनुसार उस पर जुर्माना राशि का बटवारा कर राशि निर्धारित कर सकती है। जुर्माने के भुगतान के अंश भाग को हिन्दू संयुक्त परिवार के लिए निर्धारित कर सकती है। केवल उसी स्थिति में और उसी समय तक निर्धारित जुर्माने की बंटवारा राशि की वसूली पर रोक लगी रहेगी जब तक धारा 10अ(3) के अन्तर्गत उस व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय नही हो जाता।

(2) राज्य सरकार उस क्षेत्र में ढोल पीटकर या जैसा भी उचित समझे,

धारा 10–अ(1) के अन्तर्गत किये गये उस क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने की अधिसूचना की घोषणा करवा सकती है।

(3)(अ) सामूहिक जुर्माने से प्रभावित कोई व्यक्ति राज्य सरकार या संबंधित अधिकारी को निश्चित समय सीमा के अन्दर जुर्माने की राशि के पुन–निर्धारण या पूर्ण छूट के लिए प्रतिवेदन कर सकता है।

नोटः प्रतिवेदन दाखिल करने की कोई फीस नही होगी।

(ब) आवेदन को सुनने का उचित अवसर देने के पश्चात राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी आदेश दे सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत जुर्माने से छूट या जुर्माना राशि में की गयी कमी किसी व्यक्ति विशेष को नही मिलेगी परन्तु उस छूट की कमी की राशि को सामूहिक जुर्माने की राशि से कम कर दिया जायेगा।

(4) यदि राज्य सरकार यह अनुभव करे कि अपराधी इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधियों की श्रेणी

में नहीं आते हैं तो उन्हें धारा 10अ(1) के अपराध सहित सामूहिक या आंशिक जुर्माने से मुक्त कर सकती है।

(5) सामूहिक जुर्माने की निर्धारित आंशिक राशि (हिन्दू संयुक्त परिवार सहित) किसी व्यक्ति से उसी प्रकार वसूली जायेगी जिस प्रकार अपराधिक कानून संहिता, 1973 के अन्तर्गत किसी न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये जुर्माने की वसूली की जाती है।

धारा 11– जो व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध में अथवा अपराध को बढावा देने के अपराध में पहले भी सजा भोग चुका है, अपराधी पाये जाने पर–

(अ) दोबारा अपराध पर 6 माह से 12 माह का कारवास तथा 200 रूपये से लेकर 500 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा।

(ब) तीसरी बार अपराध करने पर अपराधी को 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक कारावास की सजा सहित 500 रूपये से लेकर 1000 रूपये तक का जुर्माना होगा।

धारा 12– इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया अपराध यदि किसी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्य पर किया गया है तो इस अपराधिक कृत्य को न्यायालय "अस्पृश्यता" के आधार पर ही मान्य करेगा जब तक कि यह इसके विपरीत सिद्ध न हो जाये।

धारा 13–(1) किसी भी दीवानी अदालत पर इसकी पांबदी है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मुकदमों को दर्ज करे या उन पर सुनवाई करे या कोई डिक्री, आदेश दे। यदि ऐसे मुकदमें में मुआवजा शामिल है तो उनके संपूर्ण या आंशिक अमल की कार्यवाही या डिक्री आदेश इस अधिनियम के विरूद्ध होगा।

(2) कोई भी न्यायालय किसी मामले में रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान करके किसी व्यक्ति को "अस्पृश्यता" के आधार पर निर्योग्यता सम्बन्धी डिक्री या आदेश का निर्णय नही दे सकता।

धारा 14(1) यदि कम्पनी के किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया है तो कम्पनी के सभी व्यक्ति जो अपराध के समय काम पर उपस्थित थे और जो कम्पनी के व्यापार के आचारण के प्रति उत्तरदायी है वे सभी अपराध के अभियुक्त माने जायेगें। ऐसे व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करके, दण्डित किया जायेगा।

इसके विपरीत केवल वह व्यक्ति ही इस अधिनियम की इस धारा में दिये गये दंड से मुक्त हो सकता है, जो यह प्रमाणित करे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ या अपराध रोकने का उसने भरसक प्रयास किया था।

(2) कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से यदि इस अधिनियम की धारा (1) के अन्तर्गत अपराध किया गया है तो निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध के दोषी माने जायेंगे जिनके विरूद्ध कार्यवाही करके दंडित किया जायेगा।

(स्पष्टीकरण– इस धारा के उद्देश्य के लिए–

(अ) कम्पनी – कोई भी सहकारी संस्था, साझा व्यापार, व्यक्तियों का संगठन

(ब) निदेशक–साझा व्यापार में भागीदार।

धारा 14ए–(1) ऐसा कोई भी कार्य जिसे ईमानदारी से किया गया हो या करने जा रहे हों उनके विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार पर कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ईमानदारी से किये गये कार्य के कारण कोई नुकसान हुआ है अथवा होने जा रहा है तो इस अधिनियम के अनुसार इसके विरूद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नही की जा सकती।

धारा 15–(1) अपराधिक आचार संहिता 1973 में अंतर्निहित होने के पश्चात भी इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये सभी दंडनीय अपराध में विचारणीय है। ऐसे सभी अपराध जिसमें 3 माह से अधिक कारावास के दंड का प्रावधान है, उन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(2) अपराधिक आचार संहिता 1973 में अंतर्निहित होने के पश्चात् भी इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध को बढ़ावा देने का आरोपी जब किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाया जाता है जो अपने कार्यालीन

दायित्वों के निर्वाहन में कार्यरत अथवा इस अभिप्राय से कार्य कर रहा हो तो पूर्व अनुमति के बिना कोई भी न्यायालय, अपराध को बढावा देने के अपराध पर विचार नही करेगा।

(अ) केन्द्र सरकार की अनुमति यदि कर्मचारी केन्द्र सरकार के कार्यो से सम्बन्धित हो।

(ब) राज्य सरकार की अनुमति यदि राज्य सरकारी कर्मचारी हो।

धारा 15ए–(1) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमानुसार राज्य सरकार ऐसे आवश्यक उपाय करेगी जो "अस्पृश्यता" के उन्मूलन के फलस्वरूप अधिकार उन लोगों को प्राप्त हो सके जिन्हे "अस्पृश्यता" के आधार पर निर्योग्य माना गया।

(2) धारा (1) के प्रावधानों को बिना पक्षपात के और विशेष कर ऐसे उपाय सम्मिलित होगें–

(i) "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता के सम्बन्ध में कानूनी सहायता सहित यथोचित प्रावधान बनाना और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराना।

(ii) इस अधिनियम के उल्लंघन के मुकदमों को दाखिल करने या उनकी देख–रेख के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करना।

(iii) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गंठन करना।

(iv) राज्य सरकार के सहयोग के लिए विभिन्न स्तर की समितियों का गठन करना जो नीति निर्धारण करके उपायों को लागू करेगी।

(v) इस अधिनियम के प्रावधानों की कार्यप्रणाली के समयबद्ध सर्वेक्षण के लिए प्रावधान बनाना जो कि अधिनियम के प्रावधानों को और अच्छी तरह लागू करने के सुझाव दे।

(vi) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां लोगो पर "अस्पृश्यता" से उपजी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता अस्तित्व में है और इसके लिए ऐसे तरीके अपनाऐं जायें जो उस क्षेत्र से ऐसी निर्योग्यता के उन्मूलन के उपाय सुनिश्चित कर सके।

(3) केन्द्र सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे राज्य सरकारों द्वारा इस धारा (1) के अन्तर्गत उपायों का समन्वय हो सके।

(4) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा धारा (1) के प्रावधानों की अनुपालना में किये गये उपायों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगी।

धारा 16– जिन सुरक्षा उपायों पर इस अधिनियम में बल दिया गया है, इस अधिनियम के वे ही प्रावधान प्रभावी माने जायेगें चाहे वर्तमान में लागू अन्य कानून इसके विपरित ही क्यों ना हो और जिनके चलते या किसी रीति या रिवाज या साधन के आधार पर न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश पर प्रभाव पडता हो।

16अ. इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध में 14 वर्ष से अधिक आयु के दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर अपराधी परीक्षण समय अधिनियम 1958 (Probation of Offenders Act) के प्रावधान लागू नही होगें।

16ब. (1) केन्द्र सरकार राजपत्रक में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को यथाशीघ्र संसद के दोनों पटलों पर उस समय रखा जायेगा जब संसद एक या दो या उससे अधिक निरंतर चलने वाले कार्यकाल में चल रही हो और जिसका न्यूनतम अवधिकाल 30 दिन का हो, अथवा संसद काल की समाप्ति के पहले यदि संसद का दूसरा काल शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा हो। इस प्रकार के उपरोक्त निर्दिष्ट संसद कालों में जब संसद के दोनों सदनों में इस पर सहमति हो जाय, कानूनों में संशोधन हो अथवा कानून नही बनाया जाय, तत्पश्चात उस कानून का निरसन या संशोधित रूप में की गयी कार्यवाही की न्यायिक प्रबलता से पक्षपात किये बिना ऐसे निरसन अथवा संशोधन किये गये हों।

धारा 17– सूची में निर्दिष्ट शासन व्यवस्था के प्रावधान अब से उस सीमा तक निरस्त किये जाते है जहां तक वे अथवा उसके अन्य कोई प्रावधान इस अधिनियम या इसके प्रावधानों के परस्पर विरोधी हों।

पुलिस जवाबदेही कमेटी

हमारे बहुत कम लोगों को पता है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, झूठे केसो में फंसाने, गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखने और मारपीट और प्रताड़ना जैसे मामलों की शिकायत दर्ज करने के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा राज्य और जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही कमेटियों का गठन किया हुआ है। परन्तु इन कमेटियों के बारे में कोई प्रचार–प्रसार नहीं किया जा रहा है अतः बहुत कम सामाजिक व दलित कार्यकत्ताओं को इन कमेटियों के बारे में पता है। राज्य स्तरीय कमेटी का कार्यालय राजस्थान पुलिस अकादमी के सामने स्वर्णकार कॉलोनी में है परन्तु कमेटी का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा स्टाफ व संसाधन नहीं हैं। जयपुर जिला स्तरीय कमेटी का दफ्तर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में एक ऐडीशनल एस.पी. के दफ्तर से ही चलाया जा रहा है। अन्य जिलों में भी यही हाल है, पुलिस परिसर में पुलिस उपायुक्त या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ही खानापूर्ति के लिए दफ्तर चला रहे है जबकि इन कमेटियों का गठन हुए डेढ साल का समय बीत गया है।

इन कमेटियों को ज्यूडीशियल पावर है, किसी को भी गवाह के रूप में बुला सकती है तथा मौके पर भी जा सकती है। समिति के राज्य स्तरीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता का कहना है कि "अभी ऐसी स्वतन्त्र जांच एंजेसी की जरूरत है जो समितियों के निर्देशन में काम कर सके।"

राज्य स्तरीय पुलिस जवाब देही समिति में पुलिस उपाधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वहीं जिला स्तरीय समिति में इन्स्पैक्टर व उससे नीचे के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। समिति सीधे कार्यवाही नहीं कर सकती, बल्कि राज्य सरकार को रिपोर्ट देकर कार्यवाही करने की सिफारिश करती है।

वर्तमान में कार्यरत राज्य स्तर व जिला स्तर की पुलिस जवाब देही कमेटियों के अध्यक्षों व सदस्यों के नाम व पते नीचे दिये जा रहे हैं :–

राज्य स्तरीय कमेटी

1	जस्टिस (रिटायर्ड) श्री गोपाल लाल गुप्ता	अध्यक्ष
2	श्रीमती शशी अग्रवाल, एडवोकेट झालावाड़	सदस्य
3	श्री पी.एन. जलथुरिया	सदस्य
4	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	सदस्य
5	श्री एन.आर. के रेड्डी अति. महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था	सदस्य सचिव

1. जिला स्तरीय कमेटी जिला–टोंक

1	श्री मनीश तोषनीवाल रामशिला पुरानी टोंक	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल जैन, जैन मौहल्ला, मालपुरा	सदस्य
3	श्रीमती रामेश्वरी शर्मा, वार्ड नं. 6 देवली,	सदस्य
4	श्री प्रहलाद टांक पुत्र श्री मोती लाल बैरवा, हाउसिंग बोर्ड टोंक	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला टोंक	सदस्य सचिव

2. जिला स्तरीय कमेटी जिला–बीकानेर

1	श्री तारा चन्द्र सारस्वत / जोधाराम सारस्वत, डी–92 समता नगर, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्री जालम सिंह भाटी पुत्र श्री देवी सिंह	

	मु. किशनपुरा पो. लूणखां, तहसील छतरगढ, बीकानेर	सदस्य
3	श्रीमती समुन जैन पत्नी श्री वी.के. जैन, निवासी बीकानेर	सदस्य
4	श्री बहादुर सिंह निमोरिया / श्री चुन्नी लाल मेघवाल बी–156, सादुल गंज, बीकानेर	सदस्य
5	अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बिकानेर	सदस्य सचिव

3. जिला स्तरीय कमेटी जिला–हनुमानगढ

1	श्री भीम सिंह राघव पुत्र श्री श्याम सिंह राघव निवासी कमरानी पुलिस थाना टिब्बी, जिला हुनमानगढ	अध्यक्ष
2	श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपत वर्मा, निवासी वार्ड 20, नोहर, जिला हनुमानगढ	सदस्य
3	श्री हंसराज पुत्र श्री मनफूल, निवासी डबली राठान, पुलिस थाना सदर जिला हनुमानगढ	सदस्य
4	श्रीमती दीपिका जैन पत्नी श्री विक्रम जैन निवासी जैन हॉस्पीटल हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला हनुमानगढ	सदस्य सचिव

4. जिला स्तरीय कमेटी जिला–सीकर

1	श्री रिछपाल कविया पुत्र श्री गिरवर सिंह 2/75 राज. आवासन मण्डल, जिला सीकर	अध्यक्ष
2	श्रीमती सरिता धाबाई पत्नी श्री रविन्द्र धाबाई निवासी राजेनद्र अस्पाताल के पास राणीसती रोड सीकर	सदस्य
3	श्री खिमाराम धोलिया पुत्र श्री नन्दराम ग्राम गोदियाबड़ा तह. फतहपुर जिला सीकर	सदस्य
4	श्री नटवर बिंदल पुत्र श्री रामदेव बिंदल निवासी बिंदल अस्पताल, बजाज रोड़, जिला सीकर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सीकर	सदस्य सचिव

5. जिला स्तरीय कमेटी जिला–झालवाड़

1	श्रीमती किरण सक्सेना पत्नी श्री ओमप्रकाश सक्सेना निवासी बड़ा बाजार पिडावा, जिला झालावाड	अध्यक्ष
2	श्री संजय वर्मा पुत्र श्री छोटेलाल वर्मा निवासी डाक बंगला रोड ईमानुअल मिशन स्कूल के पास, जिला झालावाड	सदस्य

3	श्री भैरूलाल नागर निवासी कांकडदा थाना सारोला कलां, जिला झालावाड़	सदस्य
4	श्री परमानन्द सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी जावर थाना जावर, जिला झालावाड़	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) झालावाड़	सदस्य सचिव

6. जिला स्तरीय कमेटी जिला–पाली

1	श्री सरेन्द्र पारख सीए जिला पाली	अध्यक्ष
2	डॉ. प्रीति चौधरी ग्लोबल डेन्टल क्लिनिक, पुराने बस स्टेण्ड के पास तखतगढ, जिला पाली	सदस्य
3	श्री लूणाराम रैगर रैगरों को मोहल्ला, रास, जिला–पाली	सदस्य
4	श्री कमल श्रीमाली, अधिवक्ता बाली, जिला–पाली	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पाली	सदस्य सचिव

7. जिला स्तरीय कमेटी जिला–जोधपुर

1	श्री सम्पत राज शर्मा पूर्व न्यायाधीश 41 डी भैरू विलास, सरदार क्लब के पास, जोधपुर	अध्यक्ष
2	डॉ. गुला सिंह लूणी, जोधपुर	सदस्य
3	श्रीमती प्रियंका जोशी पत्नी श्री योगेश व्यास 446, मिल्क मेन कॉलोनी, गली नं. 3, जोधपुर	सदस्य
4	श्री सूजाराम मेघवाल पुत्र श्री हरीराम निवासी कुई इन्दा, शेरगढ, जोधपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जोधपुर	सदस्य सचिव

8. जिला स्तरीय कमेटी जिला–बाडमेर

1	श्री रूप सिंह बाडमेर	अध्यक्ष
2	श्री ताराचन्द जाटोल बाडमेर	सदस्य
3	श्री टीकमचन्द लेगा गिड़ा जिला बाडमेर मो. 9772024263	सदस्य
4	श्रीमती वन्दना तापड़िया पत्नी श्री अरविन्द तापड़िया 22/210, माहेश्वरी भवन लेन हाई स्कूल रोड़, बाडमेर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बाडमेर	सदस्य सचिव

9. जिला स्तरीय कमेटी जिला–दौसा

1	श्री बनवारी लाल बडाया पुत्र श्री प्रभुदयाल बडाया विवेकानन्द कॉलोनी सन्त सुन्दरदास मार्ग, दौसा	अध्यक्ष
2	श्रीमती मीना तिवाड़ी पत्नी श्री संतोष तिवाड़ी किरण नर्सिग होम, दुर्गा मन्दिर रोड़ दौसा	सदस्य
3	श्री वृद्धिचन्द महावर पुत्र श्री रामेश्वर महावर बालाजी के पास, देवरी मोहल्ला, दौसा	सदस्य
4	श्री दिनेश खण्डेलवाल महुवा जिला –दौसा	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) दौसा	सदस्य सचिव

10. जिला स्तरीय कमेटी जिला–नागौर

1	श्री अजीत सिंह नेणिया निवासी–परबतसर, जिला नागौर	अध्यक्ष
2	श्री हरिराम बिन्दा एड्वोकेट निवासी –डेगाना, जिला नागौर	सदस्य
3	श्रीमती विनोद कंवर पत्नी श्री लादूसिंह निवासी–धुलिया शंकर कालोनी दूजार रोड, लाडनू, जिला–नागौर	सदस्य
4	श्री हनुमान रैगर निवासी–लाडनूं जिला नागौर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) नागौर	सदस्य सचिव

11. जिला स्तरीय कमेटी जिला–श्री गंगानगर

1	श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह 36 बीवी, पदमपुरा, श्री गंगानगर मो. .9783202528	अध्यक्ष
2	श्रीमती प्रियंका बेलान पत्नी श्री प्रिंस नागपाल अनूपगढ, श्री गंगानगर मो. 9549440067	सदस्य
3	श्री सीताराम मौर्य श्री गंगानगर	सदस्य
4	श्री शिवकुमार स्वामी पुत्र श्री खूबराम स्वामी 45 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर मो. 9414088027	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्रीगंगानगर	सदस्य सचिव

12. जिला स्तरीय कमेटी जिला–झुंझुनू

1	श्री जगदीश सोनी पुत्र श्री गणपत राम सोनी निवासी वार्ड 4, गणेश कॉलोनी, पिलानी, झुंझुनू	अध्यक्ष
2	श्री नरेश पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी शिवनाथपुरा पुलिस थाना गुढा, झुंझुनू	सदस्य
3	श्रीमती शिवानी नेहरा / धमेन्द्र नेहरा निवासी कस्बा पिलानी, झुंझुनू	सदस्य
4	श्री गुलजारी लाल शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल ए–38, मान नगर, वार्ड 15, कस्बा, झुंझुनू	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) झुंझुनू	सदस्य सचिव

13. जिला स्तरीय कमेटी जिला–भरतपुर

1	श्री महेश बंसल ए–461, जवाहर नगर, जिला भरतपुर मो. 9414023437	अध्यक्ष
2	श्रीमती शीला कटारा वार्ड नं. 3 नगर, जिला भरतपुर मो. 9887503487	सदस्य
3	श्री खेमचन्द कोली पुत्र श्री तेजा राम कोली नई सब्जी मंडी डीग, जिला भरतपुर	सदस्य
4	श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री अर्जु सिंह प्लॉट नं. 16 पैराडाईज कॉलोनी, नीम को गेट बाहर, जिला भरतपुर मो. 9782564710	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) भरतपुर	सदस्य सचिव

14. जिला स्तरीय कमेटी जिला–बांसवाड़ा

1	श्री मुकेश रावत एडवोकेट जिला बांसवाड़ा	अध्यक्ष
2	श्रीमती श्यामा राणा पूर्व पार्षद सदस्या उपभोक्ता मंच, जिला बांसवाडा	सदस्य
3	श्री तुलसी राम जोशी, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. ठीकरिया जिला बांसवाड़ा	सदस्य
4	श्री राजेन्द्र पंचाल घाटोल, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला – बांसवाड़ा	सदस्य सचिव

15. जिला स्तरीय कमेटी जिला–प्रतापगढ

1	श्री दीनदयाल सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह राणावत साखथली हाउस, मानपुरा रोड, जिला प्रतापगढ. मो. 9414148833	अध्यक्ष
2	श्री जंयति लाल जैन पुत्र श्री केसरी मल जैन पारसोला, जिला प्रतापगढ मो. 9983898373	सदस्य
3	श्रीमती पूतन भट्ट पत्नी श्री चन्द्राश भट्ट सदर बाजार, जिला प्रतापगढ मो. 9001050423	सदस्य
4	श्री लच्छी राम मीणा पुत्र श्री भैरू लाल निवासी सैकड़ी थाना हथुनिया, तहसील व जिला प्रतापगढ मो. 9784254741	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) प्रतापगढ	सदस्य सचिव

16. जिला स्तरीय कमेटी जिला–राजसमंद

1	श्री महेश पालीवाल हरिओम भवन, कॉकरोली, जिला राजसमंद मो. 941472254	अध्यक्ष
2	श्रीमती कमला जोशी रिछेड़, तहसील–कुम्भलगढ, जिला राजसमंद	सदस्य
3	श्री शोभा लाल रैगर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, देवगढ, जिला राजसमंद मो 9413093991	सदस्य
4	श्री गोविन्द सोनी निवासी रेल मगरा, जिला राजसमंद मो. 9414685691	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) राजसमंद	सदस्य सचिव

17. जिला स्तरीय कमेटी जिला–डूंगरपुर

1	श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री कनक मल जैन निवासी सेठो की कोल, सांगवाड़ा जिला डूंगरपुर	अध्यक्ष
2	श्री सुरेश फलोदिया निवासी फलोज जिला डूंगरपुर।	सदस्य
3	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री योगेश चन्द्र दोषी आदर्श नगर, जिला डूंगरपुर।	सदस्य
4	श्री मणि लाल पुत्र श्री धन्ना जी अहारी सोलेड़ा कुआं जिला डूंगरपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डूंगरपुर	सदस्य सचिव

18. जिला स्तरीय कमेटी जिला–जैसलमेर

1	श्री मदन सिंह सोढा एडवोकेट नि. पोछीणा पुलिस थाना सम. जिला जैसलमेर	अध्यक्ष
2	श्री मोहन सिंह रिटायर्ड अप अधीक्षक पुलिस इंटलीजेन्स ब्यूरों छडीदारा पाड़ा जैसलमेर	सदस्य
3.	श्री खेताराम पुत्र श्री जीतू रमा मेघवाल निवासी जैमला पुलिस थाना सांकड़ा जिला जैसलमेर	सदस्य
4	श्री किरण कुंवर पत्नी श्री मदन सिहं निवासी सुल्ताना पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जैसलमेर	सदस्य सचिव

19 जिला स्तरीय कमेटी जिला–कोटा

1	श्री रविन्द्र विजय एडवोकेट तलमंडी कोटा मो. 941485888	अध्यक्ष
2	श्री योगेन्द्र खींची पुत्र श्री कुशाल सिंह पूर्व महापौर 24 एफ दादाबाड़ी कोटा मो. 9829037145	सदस्य
3	श्री बालमुकुन्द वर्मा पुत्र श्री राजप्रताप मीणा से. नि0 आईपी.एस. मुख्य रोड़ जवाहर नगर कोटा थाना जवाहर नगर, कोटा मो. 9829100184	सदस्य
4	श्रीमती प्राची दीक्षित पत्नी श्री विशाल जोशी 412 गुलाब निवास शोपिंग सेन्टर कोटा मो. 9214399191	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कोटा	सदस्य सचिव

20 जिला स्तरीय कमेटी जिला–चित्तौडगढ

1	श्रीमती सुशीला जीनगर, पूर्व जिला प्रमुख राशमी, जिला चित्तौडगढ	अध्यक्ष
2	श्री अशोक महात्मा निकुंभ जिला चित्तौड़गए	सदस्य
3	श्री भागीरथ पुत्र श्री गोपी लाल चंदेल कपासन, जिला चित्तौड़गढ	सदस्य
4	श्री करनेल सिंह राठौड पुत्र घीसू सिंह शंकर गट्टा, चित्तोड़गढ	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) चित्तौड़गढ	सदस्य सचिव

21 जिला स्तरीय कमेटी जिला–अजमेर

1	श्री क्षमाशील गुप्त पुत्र श्री भगवती लाल गुप्त निवासी चम्पानगर ए.के.एच ब्यावर थाना ब्यावर सिटी जिला अजमेर	अध्यक्ष
2	श्री मदन सिंह परिहार सेवानिवृत उप सीएमई 2/572 न्यू गोविंद नगर रामगंज अजमेर जिला अजमेर	सदस्य
3	श्रीमती नेपा रावत पत्नी श्री टीकम चंद निवासी मोहमी थाना गेगल जिला अजमेर	सदस्य
4	श्री संजय शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा 790/31 चेतन्य मार्ग, नगर पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अजमेर	सदस्य सचिव

22. जिला स्तरीय कमेटी जिला–भीलवाड़ा

1	श्री अनिल जैन पुत्रः श्री चांदमल जैन माणिक्यनगर, भीलवाड़ा	अध्यक्ष
2	श्री ललित अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद शहीद चौक, सांगानेरी गेट, जिला भीलवाड़ा	सदस्य
3	श्री कैलाश चन्द जीनगर पुत्र श्री राजस्वरूप जीनगर डी–273 पंचवटी नगर, जिला भीलवाड़ा	सदस्य
4	श्रीमती शिखा नवल जागेटिया पत्नी श्री नवल जागेटिया आजाद चौक, जिला भीलवाड़ा	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) भीलवाड़ा	सदस्य सचिव

23. जिला स्तरीय कमेटी जिला–बारां

1	श्री हरगोविन्द जैन निवासी बारां	अध्यक्ष
2	श्री नाथूलाल नागर निवासी किशनगंज, जिला बारां	सदस्य
3	श्री प्रहलाद मीना पुत्र श्री रामनारायण मीणा निवासी बारां	सदस्य
4	श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री मदन गोपाल शर्मा निवासी बारां	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बारां	सदस्य सचिव

24. जिला स्तरीय कमेटी जिला–धौलपुर

1	श्री मुरारी लाल सिंघल निवासी संतर रोड़ तहसील जिला–धौलपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती मनीषा गोयल पत्नी श्री गौरव गोयल निवासी पुराना शहर धौलपुर	सदस्य
3	श्री सूरजमल जाटव निवासी किरी, धौलपुर	सदस्य
4	श्री गयाप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सौंहा कंचनपुर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) धौलपुर	सदस्य सचिव

25. जिला स्तरीय कमेटी जिला–करौली

1	श्री भौरूसिंह जादौन पुत्र श्री बहादुर सिंह जादौन निवासी करौली	अध्यक्ष
2	श्री निर्मल मीणा पुत्र डा. जयपाल मीणा निवासी सपोटरा करौली	सदस्य
3	श्री राधेश्याम गोयल, निवासी सूरौठ वाया हिण्डोन जिला करौली	सदस्य
4	श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री मिलाप जैन निवासी सायनाथ खिडकिया जिला करौली	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) करौली	सदस्य सचिव

26. जिला स्तरीय कमेटी जिला–बून्दी

1	श्री सुरेश अग्रवाल पुत्र श्री जगमोहन अग्रवाल निवासी चैनरय जी का कटला बून्दी मो. 9214317445	अध्यक्ष
2	श्री उमेश आर्य पुत्र श्री बजरंग लाल आर्य निवासी बीबनवा रोड़ बून्दी मो. 9414926648	सदस्य
3	श्रीमती सुमन बील्या पत्नी श्री कुंज बिहारी बील्या निवासी चूड़ी बाजार बून्दी मो 9461752863	सदस्य
4	श्री जगदीश पारेता आ. श्री केसरी लाल पारेता निवासी गरमपुरा लाखेरी बून्दी मों. 9828577077	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बून्दी	सदस्य सचिव

27. जिला स्तरीय कमेटी जिला–अलवर

1	डॉ. सुरेन्द्र जैन पुत्र श्री भौरे लाल जैन सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारी निवासी 2 क 17 मनुमार्ग अलवर मो. 929215612	अध्यक्ष
2	श्री गिर्राज प्रसाद बसवाल पुत्र श्री जुगल किशोर सेवानितृत सीटीओं. निवासी–30 शान्ती कुंज, अलवर मो. 9414323471	सदस्य
3	श्रीमती अन्जना खण्डेलवाल पत्नी श्री मनोज खण्डेलवाल निवासी अलावड़ा थाना रामगढ, जिला अलवर मो. 9982018318	सदस्य
4	श्री रामवतार यादव पुत्र श्री धीसाराम यादव निवासी–ग्राम पोस्ट अन्तपुरा, बहरोड़, जिला अवलर मो. 9414453746	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अलवर	सदस्य सचिव

28. जिला स्तरीय कमेटी जिला–जालोर

1	श्री बाघसिंह राव, सेवानिवृत आर.एस.एस. मणधर, जसवंतपुरा हाल नि. भीनमाल, जालौर	अध्यक्ष
2	श्री मोहन लाल परमार निवासी–जालौर	सदस्य
3	श्री फोजाराम पुत्र श्री समाराम, जाति मेघवाल निवासी–पावटा जालोर	सदस्य
4	श्रीमती सरोज बाफना समाजसेवी निवासी–भीनमाल जालोर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जालोर	सदस्य सचिव

29. जिला स्तरीय कमेटी जिला–सिरोही

1	श्री भूबाराम पुत्र श्री डायाजी माली निवासी – भाटकड़ा सिरोही तह. जिला सिरोही	अध्यक्ष
2	श्रीमती अर्चना दवे पत्नी श्री हर्षदभाई दवे निवासी–छोटी ढुढाई आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही	सदस्य
3	श्री प्रतापराम पुत्र श्री नसीगजी पुरोहित निवासी भाटकड़ा सिरोही तह. व जिला सिरोही	सदस्य
4	श्री मगनलाल पुत्र श्री जेताजी कोली निवासी क्यारिया, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सिरोही	सदस्य सचिव

30. जिला स्तरीय कमेटी जिला–चूरू

1	श्री ओमप्रकाश सारस्वत / श्री नत्थूराम सारस्वत वार्ड नं. 22 धर्म स्तूप के पास चूरू	अध्यक्ष
2	श्री भंवर सिंह सामोर वार्ड नं. 24 गांधी कॉलोनी जिला चूरू	सदस्य
3	श्री गणेश मंडावरिया वार्ड नं. 34 श्याम मंदिर क पीछे, सूजानगढ, जिला चूरू	सदस्य
4	श्रीमती विमला गढवाल नि. नई सड़क, जिला चूरू	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) चूरू	सदस्य सचिव

31. जिला स्तरीय कमेटी जिला–जयपुर

1	प्रो. श्री वीरू सिंह राठौड ए–34 गोपालपुरा बाई, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री कन्हैयालाल मीना 53 / 204, वीर तेजाजी रोड, रेयान स्कूल के सामने, मानसरोवर, जयपुर	सदस्य
3	श्रीमती मंजू सैनी खातेड़ी मोड़, शाहपुरा, हाल सी 171 निर्माण नगर, जयपुर	सदस्य
4	श्री अरूण खटौड़ सी 19–20 ए मुखर्जी कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर	सदस्य सचिव

32. जिला स्तरीय कमेटी जिला–उदयपुर

1	श्री बी.एल. फड़िया पुत्र श्री छगनलाल फडिया 701, अर्जुन नगर, सेक्टर–11, हिरणमगरी, उदयपुर	अध्यक्ष
2	सुश्री अर्चना शक्तावत पुत्र श्री कर्नल बी.के. शक्तावत 8 लाल निवास, सरदारपुरा, उदयपुर	सदस्य
3	श्री राम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह गरासिया कातरवास खुर्द, थाना बावलवाड़ा	सदस्य
4	श्री धुलाराम पुत्र श्री होमा भगोरा मादला ग्राम पंचायत मादला, थाना फलासिया उदयपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयपुर	सदस्य सचिव

33. जिला स्तरीय कमेटी जिला–सवाईमाधोपुर

1	श्री रतन लाल आजाद पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी–पीपल्दा, जिला सवाई माधोपुर मो. 9414030823	अध्यक्ष
2	श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र शर्मा निवासी–अरिहन्त कॉलोनी बजाज शौरूम के पीछे, सवाई माधोपुर मो. 9414030989	सदस्य
3	श्री भरत सिंह भेडोला निवासी–थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर मो. 9928651573	सदस्य
4	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री पृथ्वीराज मीणा निवासी ग्राम झायरा तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
5	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सवाई माधोपुर	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मानव अधिकार संस्थानों की सूची

माननीया श्रीमती ललिता कुमारमंगलम्
अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट न. 21,एफसी–33,
जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली–110025
फोन न. 26942369, 26944740
ई–मेल : ms-ncw@nic.in ms
complaintcell-ncw@nic.in, ms-ncw@nic.in

माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू
अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
मानवाधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली–110023
011–24651330,
ई–मेल cr.nhrc@nic.in

न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
शासन सचिवालय
जयपुर
फोन 0141–2227183, 2227868 (6622)
फैक्स न. 0141–2227738
ई–मेल: rshrc-rj@nic.in

श्री एस.के.मिश्रा
निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय,
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
कमरा न. 101 व 102 प्रथम तल, केन्द्रीय सदन
सेक्टर 10, विद्याधर नगर
जयपुर

श्रीमती स्तुति कक्कड़
अध्यक्ष
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5 फ्लोर, चन्द्रलोक बिल्डिंग
36, जनपथ
नई दिल्ली

श्रीमती सुमन शर्मा
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य महिला आयोग
लाल कोठी,
जयपुर
फोन न 0141–2779001, फैक्स न. 0141–2744491
ई–मेल : rajyamahilaaaayog@gmail.com

प्रो.(डॉ) रामशंकर कथेरिया
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
5 फ्लोर, लोकनायक भवन
खान मार्केट,
नई दिल्ली
फोन न. 011–24603448 मो.09415141800
09810055632 फैक्स न. 011–24632298
pl.pu

श्री सुन्दर लाल
अध्यक्ष
राज्य अनुसूचित जाति आयोग
योजना भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर
फोन. 0141–2222518

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
6 फ्लोर, बी विंग,
लोकनायक भवन खान मार्केट,
नई दिल्ली
फोन न 011-24646954,
FAX No. 011-24624628, 24657474, 24624191

श्रीमती मनन चतुर्वेदी
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
2 जलपथ, गांधी नगर,
जयपुर

माननीय श्री राजू परमार
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
5जी फ्लोर, लोकनायक भवन
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
टैलीफैक्स न. 011–24624801
Email:

सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियमों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए सहायक जारी दिशानिर्देश

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ. 11(133)(1)आरएण्डपी / सकवि / 98 99 35313-44 जयपुर, दिनांक 3-2-02

जिला कलेक्टर,

....

विषय : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 10 के तहत परिलक्षित क्षेत्र मे अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून का एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबन्धो के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियां और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला कलेक्टर को विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है।

विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा

1. अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधायें प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना,
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारा की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे मे शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र मे चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना,
3. गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रो के रख रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

शासन सचिव

क्रमांक : एफ 11(133)(1)आरएण्डपी / सकवि / 98 99, 35345-46 जयपुर, दिनांक 3-5-0-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक F.11(36)A.P./SJE/16-17/ 6137-70 जयपुर, दिनांक 13 फरवरी.2017

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
....

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता सात दिवस के भीतर देने का प्रावधान है किन्तु निदेशालय स्तर पर कई पीडितों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं कि उन्हें लम्बे समय से नियम 12(4) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) की अनुसूची उपबंध–1 में अपराध के नाम के साथ विभिन्न स्तर यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर एवं अवंर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्ध किए जाने पर निर्धारित राहत की न्यूनतम राशि दिए जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा उक्त नियम अन्तर्गत उल्लेखित अपराधों के प्रकार एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, न्यायालय को भेजे गए आरोप पत्र एवं न्यायालय के निर्णय के दस्तावेज प्राप्त कर विभिन्न स्तरों पर अनुदान राशि तुरन्त स्वीकृत कर पीडित को प्रदान की जानी है। किन्तु व्यवहार में उक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण नियम 17 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित करवाकर उनके समक्ष आर्थिक सहायता के प्रकरण रख, अनुमोदन/अभिशंषा प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जाती है। उक्त प्रक्रिया के कारण पीडितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रकरण अधिक समय तक लम्बित रहते हैं एवं पीडित को निर्धारित अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध नही हो पाती। जबकि विभाग द्वारा पूर्व में पत्रांक 74908–42 दिनांक 02.12.2016 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि **नियम अन्तर्गत देय सहायता राशि उपलब्ध करने के लिए जिला कलक्टर ही अधिकृत हैं**। राहत की न्यूनतम राशि (आर्थिक सहायता) के सम्बन्ध में नियम 17 के अन्तर्गत गठित समिति का कार्य **"अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाए तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों का पुनर्विलोकन"** का है। जिसके अन्तर्गत कमेटी द्वारा यह देखा जाना है कि पीडित/आश्रितों को आर्थिक सहायता व नियम अन्तर्गत देय अन्य सुविधाा निर्धारित समय पर प्राप्त हुई है या नहीं। एवं उनको उक्त सविधाऐं प्रदान करवाने में सक्षम विभागों/अधिकरणों को निर्देशित एवं पर्यवेक्षण करना है।

अतः सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रियानुसार नियम 12(4) के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता के प्रकरण स्वीकृत कर नियम अन्तर्गत निर्धारित अवधि में पीडितों को राहत उपलब्ध करावें, साथ ही आर्थिक सहायता के लम्बित प्रकरणों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सात दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अत्याचार निवारण प्रशाखा की ई–मेल आई.डी ddapjpr.sje@rajasthan.gov.in पर एवं हार्ड कॉपी डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

E-mail ID:- ddapjpr.sje@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2226615

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक F.11(71)R&P/SJE/13/ 72544-78 जयपुर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

समस्त जिला कलक्टर्स

....

विषय :-अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम 1995 के नियम 12 (4) के बिन्दूओं की संख्या 46 की पालना के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम के 12(4) के बिन्दु संख्या 46 में **उल्लेखित अपराधों हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता के प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा अन्य आश्रितों के प्रतिमास 5000/- रूपये की मूल पेन्शन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी सेवकों को लागू है, और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो का उपबन्ध है।**

उपरोक्त वर्णित नियम के क्रम में कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधर पर ज्ञात है कि उक्त नियम की पालना में विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को पेन्शन दी जा रही है। किन्तु उक्त नियम की जानकारी के अभाव एवं व्यापक प्रचार प्रसार न होने के कारण बहुत सीमित संख्या में पीडित के आश्रित को लाभान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम के 12(4) के बिन्दु संख्या 46 में उल्लेखित अपराधों के अन्तर्गत मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को नियमानुसार पेन्शन की सुविधा स्वीकृत कर पात्र को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चत करें। **इस सम्बन्ध में विभागीय पत्र क्रमांक 8847 दिनांक 30.01.2013 द्वारा भी पात्र उक्त के अन्तर्गत पात्र विधवा और अन्य आश्रितों को पेन्शन स्वीकृत करने आदेश जारी किए थे (संलग्न)। अतः सभी से पुनः निर्देशित किया**

जाता है कि उक्त नियमों की पालना में पात्र विधवा और/अन्य आश्रित को निम्नानुसार पेन्शन स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त क्रम में वर्तमान में आपके जिले में दी जा रहीं पेन्शन से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चत करें।

क्र.सं.	मृतक का नाम	एफ.आई. आर. सं., दिनांक, एवं अपराध की धारा	पीडित की विधवा अथवा अन्य आश्रित का नाम (जिसे पेन्शन दी जा रही है)	पेन्शन की प्रथम स्वीकृति दिनांक आदेश व राशि	वर्तमान में देय भुगतान की राशि	विशेष विवरण

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन
सचिव

क्रमांक F.11(40)R&P/SJE/16/ 79579-613 जयपुर, दिनांक 22/12/2016

प्रतिलिपि :– उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना निर्धारित अवधि में भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन
सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3 / 1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ.11(53)( )अ.नि. / सान्याअवि / 2016 / 71490-522 जयपुर, दिनांकः 03.12.2016 03/12/2016

जिला कलक्टर

....

विषय :–अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम–11 के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के भुगतान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 11 के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं देने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं।

नियम–11 :– अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं :

1) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्सप्रेस / मेल / यात्री ट्रैन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस व टैक्सी भाड़े का संदाय किया जाएगा।

2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपअधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधाएं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

3) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अव्यस्क व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक की निशक्त व्यक्ति अपनी पंसद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार

से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा और भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।

4) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिवार को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा, जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।

5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत करे।

6) पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रित/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भार साधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य संबंधित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा।

7) जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपपराध किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र; भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

अतः उपरोक्त वर्णित नियम 11 के 1 से 7 तक के उपनियमों की पालना आपके स्तर से आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें। साथ ही उक्त नियम के अन्तर्गत अत्याचार से पीडित को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता आदि सुनिश्चित करने एवं भुगतान की प्रक्रिया में एकरूपता तथा सरलीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करावें:—

1. जिला कलक्टर द्वारा जिला मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी/कार्यवालक मजिस्ट्रेट के पास 10,000/– एवं शेष उपखण्ड अधिकारी/कार्यपालनक मजिस्ट्रेट के पास 5000/– रूपये तक अग्रिम रखे जावें। उक्त राशि जिला कलक्टर द्वारा अग्रिम रूप से आहरित कर नकद उपलब्ध कराई जावे। उक्त राशि का आहरण जिला कलक्टर द्वारा GF&AR के नियमों के अन्तर्गत ए.सी. बिल से किया जायेगा तथा आहरित राशि के समायोजन हेतु डी.सी. बिल कोषालय के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय भेजा जायेगा। तत्पश्चात् ही अगले ए.सी.बिल का आहरण किया जाये।

2. उपखण्ड अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय में एक निम्न प्रारूप में रजिस्टर संधारित करवायेंगे।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	एफ.आई.आर. संख्या	उनवान	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6

दावा राशि	पारित राशि	भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर	संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर	अधिकारी के हस्ताक्षर
7	8	9	10	11

3. संबन्धित पीडित निर्धारित प्रारूप में क्लेम प्रार्थना पत्र उपस्थिति प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रमाण पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी/कार्यपालन मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।
4. उपस्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकारी अधिकृत होंगे।

क्र.सं.	न्यायालय/कार्यालय जहां उपस्थित होता है	उपस्थित प्रमाण–पत्र हेतु अधिकृत अधिकारी
1	2	3
1	विशिष्ठ न्यायालय	लोक अभियोजक
2	अधीनस्थ न्यायालय	सहायक लोक अभियोजक
3	जिला कलक्टर कार्यालय	न्याय शाखा के प्रभारी अधिकारी/ए.डी.एम.
4	कार्यालय पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अपराध सहायक
5	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट	उपखण्ड अधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट
6	कार्यालय पुलिस उपअधीक्षक	वृत्ताधिकारी/पुलिस उपअधीक्षक
7	पुलिस थाना	थानाधिकारी

5. दावा प्रार्थना पत्र व उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. वर्ष के अन्त में व्यय राशि जो अग्रिम रूप से दी गई थी का हिसाब जिला कलक्टर/जिला अधिकारी सान्याअवि को प्रस्तुत किया जायेगा।

7. वर्ष के अन्त में राशि का समायोजन निश्चित रूप से किया जायेगा।

दावा प्रपत्र व उपस्थिति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.11(53)( )अ.नि. / सान्याअवि / 2016 / 77523-56 जयपुर, दिनांकः 07.12.2016 07/12/2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक / सहायक निदेशक ...., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

यात्रा एवं दैनिक भत्ता दावा प्रपत्र

(अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 11 के अन्तर्गत)

श्रीमान ....

....

....

1. पीडित व्यक्ति / गवाह / आश्रित का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. एफआईआर / केस नम्बर ....
4. सामान्य निवास स्थान का पूरा पता ....
5. यात्रा का प्रयोजन ....
   (उपस्थिति प्रमाण–पत्र संलग्न करे)
6. यात्रा कहां से ....कहां को ....
7. यात्रा का साधन — बस / रेल / अन्य — श्रेणी ....
8. यात्रा व दैनिक भत्ता दावा राशि

	(अंको में)	(शब्दों में)
(i) वास्तविक किराया राशि		
(ii) वापस लौटने क किराया		
(iii) अन्य देय खर्च अ.) न्यूनतम दैनिक मजदूरी ब.) भरण पोषण भत्ता		
कुल		

मैं घोषण करता / करती हूँ कि उक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है तथा मैंने उक्त शि का पुनर्भरण न्यायालय या अन्य किसी कार्यालय से प्राप्त नहीं किया है। मुझे उक्त कुल राशि रुपये .... का भुगतान करने का कष्ट करे।

संलग्न :– उपस्थिति प्रमाण–पत्र

दिनांक : प्रार्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश

उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 11 के अन्तर्गत देय राशि की जांच की गई एवं राशि रुपये .... अक्षरे रुपये .... का भुगतान देय पाया गया।

(हस्ताक्षर एवं सील)

पावती

श्री .... द्वारा यात्रा / दैनिक भत्ता दावा प्रपत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक .... स्थान .... हस्ताक्षर लिपिक

उपस्थिति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी ... . जिला .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या/एफ.आई.आर संख्या .... (उनवान) .... में दिनांक .... को कार्यालय/न्यायालय .... में बयान/साक्ष्य/अन्वेषण हेतु उपस्थित हुए।

अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ.11(55)( )अ.नि./सान्याअवि/2016/ 74274-907 जयपुर, दिनांक: 2.12.2016

जिला कलक्टर

....

विषय :–अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत पीडित/आश्रितों को देय आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार/उत्पीडन किए जाने पर अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं यथा संशोधित अधिनियम 2015 के नियम 1995 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) में पीडित को तत्काल राहत/सहायता उपलब्ध काराए जाने का प्रावधान है। संशोधित नियम 2016 के अन्तर्गत अत्याचार के पीडित एवं उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिवस के भीतर ही आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है किन्तु व्यवहार में उक्त नियम अन्तर्गत अत्याचार से पीडित व उनके आश्रितों को निर्धारित अवधि में राहत प्रदान नहीं की जा रही है।

विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह तथ्य ध्यान में आया है कि नियम 1995 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत देय सहायता राशि की स्वीकृति नियम 17 के अन्तर्गत आपकी (जिला मजिस्ट्रेट) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति की त्रैमासिक बैठक में अनुमोदन उपरान्त सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त प्रक्रिया द्वारा अनावश्यक रूप से पीडितों/आश्रितों को देय राहत राशि में विलम्ब होने के साथ–साथ अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूगा कि **उक्त नियम अन्तर्गत देय सहायता राशि उपलब्ध करने के लिए आप स्वयं ही अधिकृत हैं।** उक्त नियम अन्तर्गत देय सहायता राशि के स्वीकृति के प्रकरण स्वीकृति हेतु नियम 17 के अन्तर्गत आपकी (जिला मजिस्ट्रेट) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है।

नियम–17 के अन्तर्गत गठित कमेटी का कार्य – **"अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाए तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनर्विलोकन"** का ही है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से पुलिस की एफ.आई. आर एवं चालान /सम्बन्धित अन्य दस्तावेज प्राप्त होते ही विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली सहायता राशि निर्धारित अवधि में स्वीकृत करने की कार्यवाही करें एवं उक्त स्वीकृति के प्रकरणों का पुनर्विलोकन (Review) नियम–17 के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति की त्रैमासिक बैठक में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

\172 16 0 125\e\Daksh Ji\F-11-55-Minister-Gor-Latters doc
E-Mail-sjeraj_bc@yahoo.co.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेड़कर भवन, होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक F.11(70)AP/SJE/17/ 17096 जयपुर, दिनांक 6.4.2017

परिपत्र

विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 का कियान्वयन किया जा रहा हैं। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं पर होने वाली लैंगिंक हिंसा की प्रभावी रोकथाम हेतु "लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" एवं "लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण नियम, 2012" का कियान्वयन किया जा रहा हैं।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लैंगिंक हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत निर्धारित आर्थिक्र सहायता एवं अनुतोष/राहत प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित प्राधिकारियों हेतु निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई हैं।

लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बालक–बालिकाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने के संबंध में धारा 33 (8) एवं नियम 7 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। नियम 7 (6) के अनुसार पीड़ित बालक/बालिका या उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक/बालिका को भरोसा या विश्वास है, के द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों एवं योजना के अंतर्गत अनुतोष/राहत प्राप्त की जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए एवं पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों/उनके आश्रितों को प्रतिकर के लिए "राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011" कियान्वित की जा रही हैं। लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रतिकर/मुआवजा संबंधी प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उक्त स्कीम में वर्ष 2015 में आवश्यक संशोधन उपरान्त राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2015 लागू की गई हैं।

उक्त स्कीम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के आदेश और राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बालक/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। स्कीम के बिन्दु संख्या 5 (5) के परन्तुक के अनुसार पीड़ित बालक/बालिका या उसके माता–पिता या संरक्षक

या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक/बालिका को भरोसा या विश्वास है, के द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियम एवं स्कीम के अंतर्गत अनुतोष/राहत प्राप्त की जा सकती हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 एवं 4 में वर्णित विभिन्न अपराधों (लैंगिंक हिंसा सहित) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12 (4) के तहत् निर्धारित अनुसूची के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को नगदी या वस्तुरूप या दोनों के रूप में अनुतोष/राहत उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित अधिनियमों एवं स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप लैंगिंक हिंसा से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011" के अन्तर्गत देय प्रतिकर/ मुआवजा राशि के अतिरिक्त "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016" में निर्धारित अनुतोष/राहत प्राथमिकता से नियमानुसार स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक जैन)
अति. मुख्य सचिव

क्रमांक F.11(70)AP/SJE/17/ 1709-117 जयपुर, दिनांक 6-4-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.................................।
6. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट्स) राजस्थान पुलिस, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, अभियोजन, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

9. संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग (ग्रुप–13), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर तथा अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई ....
11. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक,................................ ।
12. उपनिदेशक, आईसीपीएस/सहायक निदेशक, आईसीपीएस, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई,........................ ।
14. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति,... ।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह,......................
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

पौष 21, बुधवार, शाके 1933–जनवरी 11, 2012

Pausa 21, Wednesday, Saka 1933–January 11, 2012

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2012

एस. ओ. 157 :– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 357–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए और पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले ऐसे पीड़ितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित स्कीम विरचित करती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम.–** इस स्कीम का नाम राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 है।

2. **परिभाषाएं.–** (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस स्कीम में,–

(क) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुसूची" से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ; और

(घ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसके आश्रित भी सम्मिलित हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः संहिता और साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 में समनुदिष्ट किया गया है।

3. पीड़ित प्रतिकर निधि.– (1) पीड़ित प्रतिकर निधि नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा जिसमें से इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम पीड़ित या उसके आश्रितों को संदत्त की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रतिवर्ष इस स्कीम के लिए पृथक बजट आवंटित करेगी।

(3) निधि सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जायेगी।

4. पात्रता .– कोई पीड़ित या उसका आश्रित प्रतिकर की मंजूरी के लिए पात्र होगा, यदि :–

(क) उसे केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है ;

(ख) पीडित या उसके आश्रितों द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय को हानि पहुंचाई है जिससे वित्तीय सहायता के बिना उनका गुजारा करना कठिन हो गया है या अपनी आय से अधिक मानसिक/शारीरिक क्षति के चिकित्सीय उपचार पर खर्च कर दिया है ;

(ग) घृणित अपराध का कुकर्मी पकड़ा नहीं गया है या विचारण के पश्चात् दण्डित नहीं हुआ है किन्तु पीड़ित अभिज्ञेय है और उसे शारीरिक और मानसिक पुनर्वास पर व्यय उपगत करना है, ऐसा पीड़ित, संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (4) के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए भी आवेदन कर सकेगा।

(घ) अपराधी पकड़ा या अभिज्ञात नहीं किया गया है, किन्तु पीड़ित अभिज्ञात है और जहां कोई विचारण नहीं हुआ है वहां ऐसा पीड़ित, संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (4) के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए भी आवेदन कर सकेगा ;

(ड) पीडित/दावेदार बिना किसी अयुक्तियुक्त विलंब के क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट करता है परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है, लेखन द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विलंब को माफ कर सकेगा ; और

(च) पीडित/दावेदार मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता है।

5. प्रतिकर की मंजूरी के लिए प्रकिया .– (1) जब कभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (2) और (3) के अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है या उप-धारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा कोई आवेदन किया जाता है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट किये गये आपराधिक कियाकलाप से उत्पन्न और पीडित/दावेदार को कारित हानि या क्षति के सम्बन्ध मे दावे की अंतर्वस्तु

का सत्यापन करेगा और असाजियत का अवधारण करने के क्रम में आवश्यक अन्य किसी सुसंगत जानकारी की मांग कर सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार दो मास के भीतर प्रतिकर प्रदान करेगा।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अंत्येष्टि व्ययों इत्यादि जैसे ऐसे आनुषंगिक प्रभारों को सम्मिलित करते हुए पीड़ित को कारित हानि, उपचार पर उपगत किये जाने वाले चिकित्सा व्ययों, पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम रकम के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा। प्रतिकर, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होते हुए केस प्रति केस घट–बढ़ सकेगा।

(3) इस स्कीम के अधीन प्रतिकर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए संदत्त किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय किसी पश्चावर्ती तारीख पर निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्तियों को संहिता की धारा 357 की उप–धारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है तो पीड़ित/दावेदार प्रतिकर की रकम के समतुल्य आदिष्ट किसी रकम या संहिता की धारा 357 की उक्त उप–धारा (3) के अधीन संदत्त की जाने वाली आदिष्ट रकम, इनमें से जो भी कम हो, का प्रतिदाय करेगा। इस आशय का एक वचनबंध प्रतिकर की रकम के संवितरण से पूर्व पीड़ित/दावेदार द्वारा दिया जायेगा।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित प्रतिकर की मात्रा, पीड़ित या, यथास्थिति, उसके आश्रितों को पीड़ित प्रतिकर निधि से संवितरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के संबंध में राज्य से पीड़ित द्वारा प्राप्त प्रतिकर अर्थात्:– बीमा, अनुग्रह और/या किसी अन्य अधिनियम या राज्य द्वारा चलायी जा रही किसी स्कीम के अधीन प्राप्त संदाय, इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम के भाग के रूप में समझे जायेंगे और यदि इस स्कीम के अधीन मंजूर प्रतिकर की रकम उपर्युक्त वर्णित सांपार्श्विक स्रोतों से पीड़ित द्वारा प्राप्त संदायों से अधिक है तो अतिशेष रकम पीड़ित प्रतिकर निधि में से संदत्त की जायेगी।"

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन आने वाले मामले, जहां प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान किये जाते हैं, इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

(7) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, जो प्रभारी अधिकारी से अनिम्न रैंक का न हो, या मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर, तुरन्त निःशुल्क प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सीय फायदे या कोई अन्य अन्तरिम अनुतोष, जो वह ठीक समझे, उपलब्ध कराने के लिए आदेश कर सकेगा।

(8) पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर की मात्रा, अनुसूची के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

6. अभिलेख पर आदेश का रखा जाना .– इस स्कीम के अधीन पारित प्रतिकर के आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख पर न्यायालय को संहिता की धारा 357 की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर का कोई आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए रखी जायेगी।

7. परिसीमा.– संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा, अपराध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है तो कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, दावा फाइल करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा।

8. प्रतिकर की वसूली.– (1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि ठीक समझे तो व्यक्ति, जो उसके द्वारा कारित अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी हैं, से पीड़ित या उसके आश्रितों को मंजूर किये गये प्रतिकर की वसूली के लिए संबंधित लोक अभियोजक कार्यालय के परामर्श से, सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करेगा।

(2) इस प्रकार वसूली गयी रकम पीड़ित प्रतिकर निधि में निक्षिप्त की जायेगी।

अनुसूची

[नियम 5 (8) देखिए]

क्र.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि	2,00,000/– रु.
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गयी है	1,00,000/– रु.
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत कम विकलांगता हो गयी है	50,000/– रु.
4.	अवयस्क के साथ बलात्संग	3,00,000/– रु.
5.	बलात्संग	2,00,000/– रु.
6.	पुनर्वास	1,00,000/– रु.
7.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गयी है	25,000/– रु.

1	2	3
8.	मानव दुर्व्यापार जैसे मामलें में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या क्षति हुई है	25,000/- रु.
9.	बाल पीडित को साधारण हानि या क्षति	20,000/- रु.
10.	तेजाब द्वारा सिर या चेहरे की स्थायी विद्रूपिता	2,00,000/- रु.

[संख्या एफ.17(154)होम/10]
राज्यपाल के आदेश से,
जी. एस. संधु,
प्रमुख शासन सचिव।

HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, January 05, 2012

S.O. 157:- In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the State Government hereby frame the scheme for providing funds for the compensation to the victims or their dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:-

1. Short Title.- This scheme may be called the Rajasthan Victim Compensation Scheme, 2011.

2. Definitions .- (1) In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this scheme;

(c) "State" means the State of Rajasthan; and

(d) "Victim" means a person who has suffered loss or injury as a result of crime and require rehabilitation and the expression victim includes his dependents.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code 1860 (Central Act No.45 of 1860) or the General Clauses Act, 1955 (Central Act No. VIII of 1955 Act) have the same meanings respectively as assigned to them in the Code and the General Clauses Act 1955.

पुलिस विभाग द्वारा जारी सहायक दिशानिर्देश

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राज. जयपुर

कमांक–प–1 (13) सीआर/सीआरसी/संरकार/16–17/3932-73 दिनांकः– 3-10-17

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज. व
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– मुख्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र के संबंध में।

प्रसंगः– सहायक शासन सचिव गृह (ग्रुप–13) विभाग राज. सरकार जयपुर के पत्र कमांक प–1 (8) गृह–13/17/दिनांक 13.9.17 व डायरी संख्या 5780 दिनांक 13.9.17 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अवयस्क बच्चों अथवा व्यस्क व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया जा रहा है और ऐसे अधिकतर अवयस्क अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति के अवयस्क है। स्थानीय पुलिस द्वारा उनको बरामद किया जाता है, परन्तु संबंधित थानाधिकारी केवल मात्र अपराध अन्तर्गत धारा 370 (2 लगायत 5) भादसं. के साथ–साथ धारायें 3 (2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारायें 3 (2)(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं करते है।

अतः आपके अधीनस्थ थानाधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे अपराध धारा 370 (2 लगायत 5) भादसं. के साथ–साथ सपठित नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारायें 3 (2)(v) जोड़कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे/अनुसंधान में जोड़े।

भवदीय,

3/10/17

(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– प.1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/ 899 दिनांक 4-3-16

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज/
पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान,
उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में पैण्डिंग स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 1821 दिनांक 31.7.15 एवं 833–884 दिनांक 2.3.16 के संदर्भ में।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 दिनांक 26.1.16 से लागू हो गया है। इस एक्ट के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये पुलिस मुख्यालय से एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में पैण्डिंग स्वीकृति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 1821 दिनांक 31.7.15 एवं 833–884 दिनांक 2.3.16 के अधिक्रमण में निर्देश दिये जाते है कि एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का निस्तारण एक माह में आवश्यक रूप से करेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर एक माह में प्रकरणों का निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित रेंज के महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त पत्रावली पर कारणों का विस्तृत स्पष्ट उल्लेख करते हुये अगले 1 माह की पैण्डिंग स्वीकृति प्रदान करेगें।

(उमेश मिश्रा)
अति. महानिदेशक पुलिस
(सिविल राईट्स)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- प.1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/2916-18 दिनांक 8-9-1

अति. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 एवं देय आर्थिक सहायता की दरों में संशोधन नियम 2016 दिनांक 14.4.16 को पुलिस एवं प्रशासनिक अकादमियों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में।

प्रसंगः- अति. मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार, जयपुर के पत्र कमांक 54002 दिनांक 19.8.16 के संदर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि अति. मुख्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार, जयपुर के पत्र के संलग्न माननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रतियां पत्र के संलग्न प्रेषित की जा रही है। अति. मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार, जयपुर ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को पुलिस एवं प्रशासनिक अकादमियों के पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 को पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल कराने का श्रम करे एवं की गई कार्यवाही से सीधे ही मुख्यमंत्री कार्यालय, अति. मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार, जयपुर को अवगत कराते हुये इस कार्यालय को भी अवगत कराने का श्रम करे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
8/9/16
(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राज., जयपुर।

प्रतिलिपिः-

1. अरिजित बनर्जी, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर के अर्द्धशासकीयय पत्र कमांक प्र विशेषा/मु.म./16/सामा. न्याय/102583 जयपुर दिनांक 1.8.16 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति. मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार, जयपुर के पत्र कमांक 54002 दिनांक 19.8.16 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राज., जयपुर।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :– प.1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/ 3064-3113 दिनांक 22/9/16

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेंज/
पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान,
उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 बाबत।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र कमांक प.1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/684–737 दिनांक 25.2.16 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 दिनांक 26.1.16 से प्रभावी हो गया है। इस संशोधित अधिनियम की प्रति आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई थी, परन्तु अभी भी कुछ पुलिस अधिकारी संशोधित अधिनियम के अनुसार उसकी उप धारायें नहीं जोड़ रहे है तथा पुराने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अनुसार ही कार्यवाही कर रहे है, जो संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। संशोधित अधिनियम अनुसार धारायें नहीं लगाने के संबंध में परिवाद भी प्राप्त हो रहे है।

अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 के संशोधन अनुसार ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की घटनाओं के संबंध में संशोधन अनुसार सही उप धाराये लगाते हुये प्रकरण दर्ज करवाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(एस.एन. खींची)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
(सिविल राईट्स)
राजस्थान, जयपुर।

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेंज राज./
पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान,
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः— अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत।

प्रसंगः— निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार जयपुर के कार्यालय के पत्र कमांक एफ.11 (48) अत्या.निवारण/सान्याअवि./16/59999—60000 दिनांक 3.10.16 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 684—737 दिनांक 25.2.16 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार संबंधी घटना घटित होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा पत्रांक 1832—83 दिनांक 22.6.16 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 के अनुसार पीडितो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु संशोधन अधिनियम अनुसार स्पष्ट धारायें लगाकर प्रकरण दर्ज नहीं किये जा रहे है तथा संशोधन नियम अनुसार धारा 3 की सही उप धारा जोडकर पीडित को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जा रहे है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार ने उपरोवत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठकों में प्रायः यह मुददा उठता है कि **"थानाधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 की सही धाराओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 की नई दरों से भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है"।**

अतः अपने—अपने अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय/अनुसंधान के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 के अनुसार धारा 3 के साथ उसकी उप धारा का भी स्पष्ट उल्लेख करे तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 के अनुसार पीडितों को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित करे कि धारा 3 तथा उसकी उप धारा का स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है, जिससे पीडितों को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 के अनुसार तुरन्त राहत राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जा सके।

भवदीय,
21.10.16

(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि— निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ.11 (48) अत्या.निवारण/सान्याअवि/16/59999-60000 दिनांक 3.10.16 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राज., जयपुर

क्रमांकः–प–1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/ 875–926 दिनांकः– 17–2–17

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज.
व पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र कमांक 684–737 दिनांक 25.2.16, 1832–83 दिनांक 22.6.16 एवं 3064–3113 दिनांक 22.9.16 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के प्रावधान अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, परन्तु यह देखने में आया है कि उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों की अक्षरशः पालना नहीं हो रही है। जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 15ए में आज्ञापरक मुख्यतः पुलिस से संबंधित निम्न प्रावधान है।

1. धारा 15ए (10):– इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराधों की समस्त प्रकियाओं की विडियो रिकार्डिंग की जावेगी।
2. धारा 15ए (11ए):– प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
3. धारा 15ए (11जी):– प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय पीडित को उसके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जावेगा।
4. धारा 15ए (11 आई):– प्रकरण दर्ज होने के बाद पीडितों/आश्रितों को अनुसंधान की प्रगति के बारे में अवगत करायेगे।
5. धारा 15ए (11 एल):– अनुसंधान/विचारण के दौरान पीडितों/आश्रितों को अनुसंधान/विचारण की दिनांक व स्थान के बारे में पूर्व में सूचित करेगे।

अतः अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 दिनांक 26.1.16 से लागू हो गया था। इस दिनांक व उसके बाद दर्ज जिन प्रकरणों में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3 के अनुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है, उनमें एडीपी/पीपी से कानूनी राय लेकर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3 व उसकी उप धारा लगाते हुये संशोधित आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करावे।

भवदीय,

17.2.17

(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज राजस्थान मय पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

E:\Rk\PCR SECTION.doc89/SCST CELL

(320)

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राज., जयपुर

क्रमांकः–प–1 (13) सीआर/सीआरसी/सर./16/ 1429-71 दिनांकः– 7.4.17.

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज.
एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत दिनांक 14.2.17 को आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ–11 (47) एपी/एसजेई/16/7821 दिनांक 22.2.17 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत दिनांक 14.2.17 को आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करने हेतु एक बैठक अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये है।

1. संबंधित थानाधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. की निःशुल्क प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जावे।
2. पीडित/आश्रित व्यक्ति को एफ.आई.आर. के समय में दी जाने वाली सहायता के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलबध करवाई जावे।
3. पीडित/आश्रित व्यक्ति को जानकारी प्रदान करने के लिये कि नियमान्तर्गत पीडित/आश्रित व्यक्ति किस तरह के अपराध के लिये किस तरह की सहायता, कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जानी है, का अपराधवार प्रत्येक थाने में फ्लैक्सी बोर्ड लगाया जाये।

अतः बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावे तथा बिन्दु संख्या 3 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1305 दिनांक 24.3.17 द्वारा अति. महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनीकीकरण एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय राज., जयपुर को राजस्थान के सभी थानों के लिये फ्लैक्सी बोर्ड तैयार करवाकर वितरित करने हेतु लिखा गया है।

भवदीय,

7/4/17

(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उनके पत्रांक एफ–11 (47) एपी/एसजेई/16/7821 दिनांक 22.2.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राजस्थान, जयपुर।

e/rk/pcr section/94

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राज., जयपुर

क्रमांक :– प.1 (30) सीआर/सीआरसी/सा.न्या.वि. का./16/1832-1882 दिनांकः– 5-5-17

समस्त पुलिस अधीक्षक राज.
एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 एवं संशोधित नियम–2016 के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तिों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार से पीडितों/आश्रितों को नियम 12 (4) के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता का भुगतान के क्रम में।

प्रसंगः– निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ.11 (67) एपी/एसजेई/17/22380 दिनांक 1.5.17 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 एवं संशोधित नियम–2016 के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तिों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार से पीडितों/आश्रितों को नियम 12 (4) के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता का भुगतान एवं मॉनिटरिंग हेतु विभागीय SJMS Webportal पर Financial Assistance for SC/ST Atrocity Prevention Application निर्मित की गई है।

उक्त बेव पोर्टल का http://ssotest.rajasthan.gov.in पर जांच हेतु अपलोड किया जा रहा है, जो कि 1.5.17 से प्रारम्भ हो जायेगा। इस http://ssotest.rajasthan.gov.in पर Atrocity cases अपलोड कर सघन जांच की जानी है। तत्पश्चात Atrocity Webportal को दिनांक 15.5.17 से वास्तविक रूप से http://ssotest.rajasthan.gov.in पर प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं 15.5.17 के पश्चात दर्ज होने वाली प्राथमिक जांच रिपोर्ट (एफआईआर) की ऑफलाईन स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।

अतः यह सुनिश्चित करावे कि दिनांक 15.5.17 से एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण की एफआईआर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्मित बेव पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करावे, जिससे कि अत्याचार के पीडितों/आश्रितों को समय पर भुगतान किया जा सके।

उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(ओ.पी. दायमा)
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राज., जयपुर।

प्रतिलिपिः– समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज राज. एवं पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3/5/17
पुलिस अधीक्षक (सीआर)
सीआईडी राज., जयपुर।

ov

e/rk/pcr section/110

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज राज.
मय पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
एवं समस्त पुलिस अधीक्षक राज. व
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 3/2/07–एपीसीआर दिनांक 10.8.17, सहायक शासन सचिव गृह (ग्रुप–13) विभाग राज. सरकार जयपुर के पत्र कमांक प–1 (13) गृह–13/16 दिनांक 11.9.17 व अति. मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारितां विभाग राज. सरकार जयपुर के पत्र कमांक 52241 दिनांक 7.9.17 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में लेख है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ने मा. मुख्यमंत्री महोदय को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.8.17 प्रेषित कर उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 व संशोधित नियम 2016 के प्रावधानों को पूर्णतः लागू कराया जावे (पत्र की प्रति संलग्न)।

जिलों में नियुक्त अधिकारी (जिला अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि) इन नियम/अधिनियम के निर्वहन हेतु सजग नहीं है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील नहीं है। आयोग ने यह भी माना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या तो दर्ज ही नहीं की जाती है या विलम्ब से दर्ज होती है, जिसमें भी अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2015 की सही धाराये नहीं लगाई जाती है एवं समय सीमा के अन्तर्गत विवेचना (अन्वेषण एवं चालान) पूरी नहीं की जाती है, जिससे पीडित एवं मृतक के आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास इत्यादि में विलम्ब होता है।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को आयोग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अति गंभीर अत्याचार के मामलों में सुनवाई/अनुस्मारक भेजे जाने पर अपने अधीनस्थों को भेज देते है, जिनमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने के कारण अत्याचार के प्रकरण लम्बित रहते है, जिससे अनुपालना के प्रति उदासीनता परिलक्षित होना अंकित किया है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि माननीय आयोग द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को बुलाने पर वो पुलिस अधिकारी स्वयं ही आयोग में उपस्थित होवे, अपने अधीनस्थ अधिकारी को नहीं भेजे तथा समय पर पत्रादि का जवाब भेजे। अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षणों हेतु पूर्ण रूपेण सजग व तत्पर रहे तथा अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम/नियम के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्य करने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करे। **पुलिस थानों पर अभियोग का पंजीकरण करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की सही धाराऐं एवं उप धाराऐं लगाई जाकर अनुसंधान कराया जावे** एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(एम.एल. लाठर)
अति. महानिदेशक पुलिस

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, नागरिक अधिकार, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : प-1( )सीबी/सीआरसी/12/1043 दिनांक : 27/04/2012

परिपत्र

प्राय: देखा गया है कि राजस्थान में आज भी दलितों को 'चमार' तथा 'हरिजन' नाम से संबोधित किया जाता है। यह भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपना सम्मानजनक जाति नाम लिखना चाहता है तो भी उसके आगे कोष्ठक में अपमानजंनक नाम 'हरिजन' या 'चमार' लिख दिया जाता है। इन शब्दों को प्राय: अपमान, गाली व मजाक उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन शब्दों का उपयोग नागरिक अधिकारों का तो उल्लघंन है ही, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(x) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में भी आता है।

वर्ष 1990 में 'हरिजन' शब्द को अपमानजनक मानकर भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय (कल्याण विभाग) के आदेश क्रमांक सं. 12025/14/90-एस.सी.डी. (आर सैल) दिनांक 16 अगस्त, 1990 के द्वारा 'हरिजन व गिरीजन' शब्दों का उपयोग तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। (परिशिष्ठ-1)

राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र पत्रांक प.5(8) राज0-4/83 राज0-6/33 दिनांक 26.12.1995 एवं पत्रांक प.5(8) राज0-4/83 राज0-6/15 दिनांक 01. 11.1996 में अपमानित नाम 'चमार' के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द 'मेघवाल' नाम को प्रस्थापित किए जाने के निर्देश दिये गये थे। (परिशिष्ठ-2)

ज्ञातव्य है कि 'एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'प्यूपल ऑफ इण्डिया' में 'मेघवाल' व 'चमार' जाति को पर्यायवाची माना है। पुस्तक के खण्ड 38 के पृष्ठ 629 पर 'मेघवाल' व 'चमार' जाति के बारे में निम्न प्रकार से उद्धृत किया गया है :-

"MEGHWAL : The community identify themselves as Meghwal or Megh, while the neighbouring communities refer to them as Meghwal or Chamar. ....They also call themselves Meghbanshi. The community of Megh or Meghwal is synonmous with Bhambis......................."

18 अगस्त, 2008 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 'चमार' शब्द को असंवैधानिक व अपमानजनक माना है। स्वर्ण सिंह एवं अन्य बनाम भारत (2008)12 एससीआर 132 के मामले में माननीय न्यायाधीश मारकंडे काटजू तथा माननीय न्यायाधीश अल्तमस कबीर की खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि;-

''पैरा-21 : आज 'चमार' शब्द तथाकथित उच्च जातियों, यहाँ तक की अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्राय: अपमान, गाली व मजाक उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी व्यक्ति को 'चमार' नाम से बुलाया जाना एक गाली है तथा घोर आपत्तिजनक है। वास्तव में आज 'चमार' शब्द का उपयोग साधारणतया एक जाति के तौर पर नहीं किया जाता, बल्कि जानबूझकर किसी को अपमानित व प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है।''(परिशिष्ठ-3)

इसी निर्णय को दिनांक 19.04.2011 को 2011STPL (Web) 403 SC 1 Arumugam Servai Vs. State of Tamil Nadu के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुन: दोहराया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि;-

' पैरा-13- स्वर्ण सिंह एवं अन्य बनाम भारत (2008)12 एससीआर 132 में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से (पैरा 21 से 24 में) प्रेक्षण किया है;-

''पैरा-21 : आज 'चमार' शब्द तथाकथित उच्च जातियों, यहाँ तक की अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्राय: अपमान, गाली व मजाक उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।......''

पैरा-14 : .... इस प्रकार की घटनाओं के लिए वे सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जावेगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार के व्यवहार की जानकारी होने के बावजूद वे दोषियों के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं करते हैं।

पैरा 19 : ....इस निर्णय की प्रति सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि वे इन आदेशों को कलक्टर व पुलिस अधीक्षकं स्तर तक के सभी अधिकारियों के पास प्रसारित कर इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से व कठोरता पूर्वक लागू करने के लिए आदेशित करें।''परिशिष्ठ-4)

इन सभी आदेशों/निर्देशों के बावजूद जनसाधारण, प्रतिष्ठित नागरिकों, बुद्धिजीवियों, राजकर्मियों व मीडिया द्वारा जाने अनजाने में असंवैधानिक और अपमानजनक माने जाने वाले 'हरिजन' एवं 'चमार' शब्दों को सार्वजनिक तौर पर उपयोग में लाया जाकर सभी आदेशों/निर्देशों को अनदेखा किया जा रहा है। इस शब्दों का उपयोग माननीय उच्चत्तम न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(x) के अपराध की ओर आकर्षित करता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना में इन शब्दों का उपयोग तुरंत प्रभाव से रोका जावे एवं इन आदेशों/निदेशों की जानकारी अधिक से अधिक अपने अधीनस्थ को दी जावे, ताकि संबन्धित के नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।

भवदीय,

ह.-(आर.पी. सिंह)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, नागरिक अधिकार, राजस्थान।

दलित अधिकार केन्द्र के बारे में ....

दलित अधिकार केन्द्र एक सन्दर्भ केन्द्र है जो राज्य स्तर पर सन् 2002 से दलितों की गरिमा, स्वाभिमान, मानवाधिकारों की रक्षा, आजीविका, जातिगत अत्याचार व भेदभाव निस्तारण के लिए सतत् प्रयासरत है।

दलित अधिकार केन्द्र दलित व महिला कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन कर भारतीय संविधान तथा अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त आर्थिक एवं न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। दलित अधिकार केन्द्र दलित व महिला अत्याचारों की मॉनिटरिंग कर गम्भीर प्रकरणों में फैक्ट फाइडिंग करता है तथा पीड़ितों को न्याय की पहुंच हेतु पुलिस प्रशासन, सरकार, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के साथ पैरवी करता है। दलित व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दलित अधिकार केन्द्र द्वारा समय–समय पर शिविर, रैली, जन सुनवाई, कार्यशाला, सेमीनार, संवाद, प्रशिक्षण शिविर आदि आयोजित किये जाते हैं। दलित अधिकार केन्द्र द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाता है। इसी के साथ उनके जमीनी और आजीविका अधिकारों पर सरकार एवं नीतिनिर्धारकों के साथ संवाद स्थापित करता है।

दलित अधिकार केन्द्र मानवाधिकार एवं सामुदायिक संगठनों, क्षेत्रीय गैर सरकारी सगठनों, नागर समाज, अधिवक्ताओं, मीडिया, जनप्रतिनिधियों के साथ नेटवर्क स्थापित कर साझा प्रयास द्वारा छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एवं दलित आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है।

राजस्थान में दलितों का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

- डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार–प्रसार करना
- संविधान प्रदत्त अधिकारों व दलितों के लिए बनाये गये कानूनों तथा प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवाना
- दलित व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न को रोकने के लिये उनका क्षमतावर्धन करना
- समुदाय आधारित संगठनों एवं गैर सरकारी दलित संगठनों के साथ नेटवर्किंग
- दलित पंचायत जनप्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन कर उन्हें सक्षम बनाना
- दलित मुद्दों पर सरकार, प्रशासन व पुलिस के साथ पैरवी करना।
- दलितों में गरिमा एवं सम्मान की भावना जागृत करना
- दलितों की कृषि एवं आवासीय भूमि के साथ आजीविका आधारित अधिकारों को सुनिश्चित करवाना
- सरकार की योजनाओं में दलितों की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

DMKS Rajasthan

दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति

112, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302015 (राजस्थान)

फोन–0141–2504837, 2504119

E-mail : cdrjaipur@gmail.com • Website : www.dmkscdr.org